लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकायें वर्ष 1998-1999

कंडिका	आपत्ति
2.03	**ब्याज राजस्व की हानि**- बिहार एवं उड़ीसा मोटर वाहन कारारोपण अधिनियम, 1930 (धारा 6) बिहार मोटर वाहन कारारोपण अधिनियम, 1994 (धारा 5) से प्रतिस्थापितके प्रावधानों और इसके अंतर्गत बने नियमों बिहार मोटर वाहन करारोपण नियम, 1930 (नियम 4) और बिहार मोटर वाहन करारोपण नियम 1994 के नियम 5 के अनुसार मोटर वाहनों से संबंधित कर, शुल्क आदि वाहन मालिको द्वारा भुगतान पर्ची से राज्य के जिला मुख्यालयों में अवस्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में जमा होता है, और ऐसे जमा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, पटना में तार द्वारा प्रतिदिन हस्तांतरित किया जाना है । जहां कार्यालय कम्युटरीकृत है, वाहन मालिकों द्वारा ऐसे वाहन सहित अन्य वाहनों जो आसन्न राज्यो के साथ द्विपक्षी अनुबंधो और राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत राज्य चलते है, के लिये कर तथा शुल्क जिला के रूप में प्राप्त किये जाते है और राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा किये जाते है जिन्हेंऐस संग्रहण को स्टेट ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा पटना को हस्तांतरित करना है ।स्टेट बैक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा समेकित संग्रहण को चालान से लेखा शीर्ष 0041 मोटर वाहनों पर कर- प्राप्तियाँ के अंतर्गत कोषागार में जमा करता है ।मार्च 1996 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार अप्रैल से फरवरी की अवधि में जमा की गयी राशि सरकारी खाते में इस प्रकार से हस्तांतरित करनी है कि पिछले महीने में जमा की गयी राशि 31 मार्च तक निश्चित रूप से हस्तांतरित हो जानी चाहिए ताकि एक वितीय वर्ष में जमा की गयी पुरी राशि वितीय वर्ष के भीतर सरकारी खाते में हस्तांतरित हो जाय । (क) पटना में 20 बैंक थे जहाँ 1998-99 की अवधि में गृह-राज्य सहित अन्य राज्यों से शुल्क/कर से संबंधित विभिन्न बैंक ड्राफ्ट एस.बी.आई. सचिवालय शाखा के माध्यम से सरकारी खाते में संप्रेषण हेतु प्राप्त किये गये थे । यह देखागया कि एस.बी.आई. रांची ने 7 अक्टूबर 1994 तक संग्रहण किये गये 20 लाख रूपये को रोक रखा जो 141 दिनों के बाद 4 मार्च 1995 को हस्तांतरित हुआ और एस.बी.आई., जमशेदपुर ने 12 अप्रैल 1993 तक उद्ग्रहित 21.66 लाख रूपये को रोके रखा जो 44 दिनों बाद 25 मई 1993 को हस्तांतरित हुआ । (ख) एस.बी.आई., सचिवालय शाखा से राजस्व संग्रहण का सरकारी खाते में हस्तांतरण 6 से 31 दिनों के विलम्ब से हुआ । फरवरी 1999 में संग्रहित 1092.49 लाख रूपये का अतिशेष पटना सचिवालय कोषागार में 31 दिनों के बाद मार्च 1999 के अंत में जमा किया गया । विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशो में कठोर शर्तो का प्रावधान नही रहने से बैकों को सरकारी राजस्व को लम्बे समय तक अपने पास रखने का अनुचित लाभ लने में सुविधा मिली ।

लोक लेखा समिति का वर्ष 2000–2001 का प्रतिवेतन

क्रं0सं0	आपत्तिग्रस्त कंडिका
5.03	**Non-realisation of tax from vehicles involved in surrender :** Under the BMVT Act, 1994 and rules made thereunder, when the owner of a motor vehicle does not intend to use his vehicle for certain period not exceeding six months at a time, he can be exempted from payment of tax by the competent authority provided that his claim for exemption is supported by the required evidence such as certificate of registration, fitness certificate, tax token, etc. For the period of non-use of vehicle he is entitled for exemption from payment of tax after following the prescribed procedure. Further, where the Taxation Officer is satisfied after due enquiries that a motor vehicle has not been used for a continuous period of not less than one calendar month, he may exempt the owner of the motor vehicle from payment of arrears up to a maximum of Rs. 4000 and when the amount of such arrears of tax exceeds this limit, he shall refer the matter to the STC, Bihar or any officer not below the rank of Assistant Transport Commissioner for decision.
(a)	**Rejection of application for surrender :** In 16 District Transport Officers- **Begusarai, Bhagalpur, Bhhojpur, Bokaro, Darbhanga, Dhanbad, Dumka, Jamshedpur, Katihar, Munger, Patna, Purnea, Ranchi, Samastipur, Sasaram (Rohtas) and Sitamarhi**, it was noticed (between July 1996 and June 2000) that in respect of 40 motor vehicles, road tax and additional motor vehicles tax were not realised for different periods falling between April 1991 and March 1999 though the applications for exemption from payment of tax were rejected (between November 1993 and July 1999) by the STC and RTA. This resulted in non-realisation of taxes amounting to Rs. 14.77 lakh.
(b)	**Surrender beyond six months :** In 15 District Transport Offices- **Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur, Chapra (Saran), Darbhanga, Deoghar, Dumka, Gaya, Giridih, Hazaribagh, Muzaffarpur, Patna Purnea, Ranchi and Sasaram (Rohtas)**, it was noticed (between May 1997 and June 2000) that in respect of 128 motor vehicles, the prescribed period of surrender has expired between July 1994 and March 1999 but no undertakings were received from any owner for extending the period of surrender. In the absence of such undertakings, the vehicle owners were liable to pay tax of Rs. 31.96 lakh for the period between July 1994 and June 2000, which was neither paid nor realised by the department.

लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकायें वर्ष 2001-2002

कंडिका	आपत्तिग्रस्त कंडिका
4.02	**कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी-** समय-समय पर यथा संशोधित बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 और उसके अधीन बनें नियमों के अनुसार वाहन पर देय कर, वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरंभ में 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है । यदि वाहन मालिक अपना आवास/व्यवसाय बदल दिया हो तो उसे 30 दिनों के अन्दर संबद्ध मूल पंजीयन प्राधिकार को अपना नया पता सूचित करना होगा । 12 जिला परिवहन कार्यालयों में देखा गया (जनवरी और दिसम्बर 2001 के बीच) कि 672 परिवहन वाहन मालिकों ने मूल पंजीयन कार्यालयों में कर देना बंद कर दिया था तथा कर भुगतान नहीं करने का कोई कारण भी अभिलेखित नहीं था । विभाग द्वारा भी कर वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी । इसके फलस्वरूप जनवरी 1992 से दिसम्बर 2001 की अवधि से संबंधित 1.92 करोड़ रूपये की कर की वसूली नहीं की गयी । इन्हें बताये जाने पर (जनवरी और दिसम्बर 2001 के बीच), 10 जिला परिवहन अधिकारियों (68 वाहनों के मामलों में) ने कहा (फरवरी और दिसम्बर 2001 के बीच) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि जिला परिवहन अधिकारी, कटिहार ने कहा (दिसम्बर 2001) कि संबंधित वाहन मालिकों को माँग-पत्र निर्गत किया जा चुका है । जिला परिवहन अधिकारी, दरभंगा ने कहा (जनवरी 2001) कि 3 वाहनों के मालिक दूसरे जिलों में कर भुगतान कर रहे हैं चूँकि वाहन मालिकों ने निबंधन पदाधिकारी से ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्राप्त नहीं किया तथा न ही वर्त्तमान पता में बदलाव तथा कर भुगतान की स्थिति से संबंधित कोई सूचना ही करारोपण पंजी में दर्ज पाया गया, अतः उत्तर अमान्य है । तदुपरांत उत्तर प्राप्त नही हुए हैं ।(नवम्बर 2001) मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002) । इस कंडिका से संबंधित 12 जिला परिवहन कार्यालय है- भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, हाजीपुर, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, सहरसा एवं समस्तीपुर ।
4.03	**वाहनों से कर वसूली नहीं होना-** बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 और उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी खास अवधि के लिए जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता हे तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्ते छूट का दावा आवश्यक साक्ष्यों जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, कर प्रतीक आदि से समर्थित हो । वाहन को उपयोग में नहीं लाने की अवधि के लिए विहित विधियों के अनुसरण के बाद ही वह कर भुगतान से छूट पाने के योग्य होगा । यदि कथित अवधि के विस्तार की जरूरत हो, वाहन मालिक को, संकलित करारोधन अधिकारी को अवधि विस्तार हेतु वचन पत्र जमा करना चाहिए । (क) 2 जिला परिवहन कार्यालयों (मुजफ्फरपरु एवं पूर्णियाँ) में यह देखा गया (अप्रील एवं अगस्त 2001 के बीच) कि 54 मोटर वाहनों के कागजात फरवरी 1998 एवं नवम्बर 2000 के बीच अभ्यर्पित किये गये परन्तु किसी भी वाहन मालिक द्वारा अवधि बढ़ाने हेतु वचनपत्र प्राप्त नहीं हुए । ऐसे वचनपत्र के अभाव में, वाहन मालिक अगस्त 1998 से अगस्त 2001 के बीच की अवधि के लिए 15.60 लाख रूपये के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे । इन्हें बताये जाने पर (अप्रैल और अगस्त 2001) जिला परिवहन अधिकारी, पूर्णियाँ ने कहा (अप्रैल 2001) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि मुजफ्फरपुर ने कहा (अगस्त 2001) कि मामलो की जाँच की जायेगी एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002) । मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गये (जून 2002), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2002) है । (ख) तीन जिला परिवहन कार्यालयों में देखा गया (जुलाई 2000 और सितम्बर 2001 के बीच) कि जनवरी 1994 एवं सितम्बर 2001 के बीच की अविध के लिए 23 मोटर वाहनों से कर की वसूली नहीं हुई यद्यपि जिला परिवहन अधिकारी/राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा अभ्यर्पण के आवेदन अस्वीकृत/रद्द कर दिये गये थे । इसके फलस्वरूप 11.49 लाख रूपये राशि के कर की वसूली नहीं हुई । इन्हें बताये जाने पर (जुलाई 2000 और सितम्बर 2001 के बीच), जिला परिवहन अधिकारी, भागलपुर और पटना ने कहा (जुलाई 2000 और फरवरी 2001 के मध्य) कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे जबकि जिला परिवहन अधिकारी, रोहतास ने कहा (अक्टूबर 2001) कि जाचोपरांत उचित कार्रवाई की जायेगी । तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002) । मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गये (जून 2002), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है

कंडिका	आपत्तिग्रस्त कंडिका
4.04	**<u>वाहनों के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप राजस्व की कम वसूली</u>**– मोटर वाहन अधिनियम 1998 के अन्तर्गत महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षिणिक संस्था का मोटर वाहन जिसका उपयोग पूर्णत: शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों या कर्मचारियों के परिवहन या तत्संबंधी किसी भी क्रिया-कलाप के लिए होता है 'आमनीवस' वाहन माना जाता है और तदनुकूल कर का आरोपण होता है । जुलाई 1994 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त (रा0 प0आ0), बिहार के कार्यपालक निदेशानुसार यह सुविधा उस संस्था को नही मिलेगी जिस संस्था को बिहार अथवा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है । पुन: राज्य सरकार द्वारा मई 1998 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सुविधा वापस ले ली गई थी तथा ऐसे वाहनों का कर उनके बैठान क्षमता के आधार पर किया जाना था । जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में देखा गया (सितम्बर 2001) कि 12 मोटर वाहन जो बिहार अथवा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय, विद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था के नाम में निबंधित नहीं थे, फिर भी उन्हे 'आमनीबस' माना गया और कम दर पर कर वसूले गये जिसके फलस्वरूप अक्टुबर 1994 और अप्रील 2001 के बीच की अवधि के लिए 6.22 लाख रूपये कर कम वसूले गये । इन्हें बताये जाने पर (सितम्बर 2001), जिला परिवहन अधिकारी ने कहा (सितम्बर 2001) कि मांग पत्र निर्गत किये जायेंगे । तदुपरान्त उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002) । मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जून 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2002) ।
4.05	**<u>अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों का निष्पादन</u>**– बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार सभी लेन-देन को अविलम्ब लेखे में लाना है एवं सभी प्राप्तियों को लोक-लेखे में जमा करा देना है । संबंधित राज्यों से प्राप्य संयुक्त शुल्क विष के बैंक ड्राफ्ट के लिए एक बैंक-ड्राफ्ट पंजी का संधारण करना है ।राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्टों में निहित राशि की उगाही के लिए राज्य सरकार ने कुछ राष्ट्रीयकृत बैंको को प्राधिकृत किया है । ।राज्य परिवहन आयुक्त के अनुदेशानुसार (मार्च 1996) अप्रैल से फरवरी के बीच बैंको द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार स्थानान्तरित करना है कि माह विशेष की सभी प्राप्तियाँ आनेवाले माह के प्रथम सप्ताह तक स्थानान्तरित हो जाय ।जहाँ तक मार्च माह में जमा किये गये प्राप्तियों का प्रश्न है, इसे 31 मार्च तक स्थानान्तरित कर देना है ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा किये गये सभी प्राप्तिताँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखे में स्थानान्तरित हो जाएँ । भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार (जून 1995) सरकार के लेखे में विलम्ब से प्रेषण के लिए बैंकों द्वारा 11.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर ब्याज देय है ।
4.05	(i) **बैंक ड्राफ्टों के पुनर्वैधीकरण के अभाव में राजस्व का उदग्रहण नहीं होना**– ।राज्य परिवहन आयुक्त, पटना के अभिलेखो के नमूना (मई 2002) में देखा गया कि अन्य राज्यों में संयुक्त शुल्क के 49.96 लाख रूपये से अर्न्तग्रस्त अप्रील 1994 और जनरवरी 2001 के बीच की अवधि के 4911 बैंक ड्राफ्ट, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ।राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय को जनवरी 2002 में पुनवैधीकरण हेतु लौटाये गये परन्तु विभाग द्वारा (मई 2002) वैधीकृत नहीं किये जाने के फलस्वरूप सरकारी लेखे में राजस्व का उदग्रहण नहीं हुआ ।
4.05	(ii) **बैंक शेष के विरुद्ध चेक का निर्गत नहीं होना**– पटना में 27 बैंक है जहाँ संयुक्त शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट जो दूसरे राज्य/आर.टी.ए. से प्राप्त होते है राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा संग्रहण के लिए जमा किये जाते है । 31 मार्च 2002 तक 7 बैंकों में 2.19 करोड़ रु0 का अन्तशेष था । इसे सरकार के लेखे में जमा कराने तथा आर.बी.आई. के अनुदेशानुसार 11.30 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके फलस्वरुप बैंको को अनुचित वित्तीय लाभ मिला।
4.05	**(iii) बैंकों द्वारा राजस्व संग्रहण की जमा करने में विलम्ब**– संग्रहणकर्त्ता बैंको ने संग्रहित राजस्व को एस.बी.आई., सचिवालय शाखा पटना के माध्यम से सरकार के लेखे में विहित अविधि में जमा करने विफल रहे और यह विलम्ब 1 महीना और 9 महीने से अधिक के बीच पाया गया । बैंकों द्वारा राजस्व को समय से जमा करने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग प्रभावशाली उपाय करने में अक्षम रहा ।इसके फलस्वरूप मई 2001 और फरवरी 2002 के बीच की अवधि के लिए ब्याज के रूप में 80.15 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई । मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गये (जून 2002) उनके उत्तर प्राप्त नही हुए (नवम्बर 2002) ।

लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकायें वर्ष 2002-2003

कंडिका	आपत्तिग्रस्त कंडिका
4.2	**कर की वसूली नहीं होना-** बिहार मोटर वाहन करारोपण (बि.मो.वा.क.) अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत वाहन पर कर वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरंभ से 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है । समय से कर का भुगतान नहीं करने पर विहित दर पर अर्थदंड लगता है । **जिला परिवहन कार्यालय** अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भभूआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, सितामढ़ी, सिवान, वैशाली तथा पश्चिमी चम्पारण में पाया गया कि 1,448 परिवहन वाहनों के मालिकों ने उन कार्यालयों में जहाँ वे मूल रूप में निबंधित थे, कर का भुगतान बन्द कर दिया तथा उनके भुगतान नहीं करने का कारण भी अभिलेखित नहीं पाया गया । विभाग ने भी इसकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया । फलस्वरूप अप्रील 1991 तथा मई 2002 के मध्य 11.80 करोड़ रूपये के कर की वसूली नहीं की गयी । इसे बताये जाने पर, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी तथा दिसम्बर 2002 के मध्य कहा कि उक्त बकाया की वसूली हेतु माँग पत्र जारी किया जायेगा । तत्पश्चात उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2004) । मामले सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2004) ।
4.3	**व्यापार कर तथा बिलंबित भुगतान पर अर्थदंड की वसूली नहीं होना**-बि.मो.वा.क. अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापार के क्रम में वाहन रखने पर व्यवसायियों द्वारा विहित दर पर व्यापार कर का भुगातन किया जाना है ।पुनः मई 2001 में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार व्यापार कर के बिलंम्बित भुगतान पर अधिनियम में विहित दर पर अर्थदंड लगाया जाना है । दो जिला परिवहन कार्यालयों (बेगूसराय तथा भोजपुर)के 19 मोटर वाहन व्यवसायियों के मामले में पाया गया कि वर्ष 1998-1999 से 2001-2002 तक के लिए व्यापार कर की वसूली या तो नहीं की गई या व्यापार कर के विलंबित भुगतान पर अर्थ दंड नही लगाया गया । फलस्वरूप, 6.57 लाख रूपये का व्यापार कर तथा अर्थदंड की वसूली नहीं की गयी । इसे बताये जाने पर जि.प.पदा. बेगूसराय ने अगस्त 2002 तथा दिसम्बर 2002 में कहा कि माँग पत्र जारी किया जा चुका है तथा नीलाम पत्रवाद मामला दर्ज किया जायेगा । जि.प.पदा. भोजपुर ने दिसम्बर 2002 में कहा कि मामले की जांच की जायेगी ।तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नहीं हुए है । मामला सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उतर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2004) ।
4.4	**अभ्यर्पण के अस्वीकृत/रद्द होने पर कर का उद्ग्रहण नहीं होना**- राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.) बिहार के द्वारा 12 जनवरी 1990 को जारी अनुदेशों के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व तीन महीने से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित किये गये वैसे वाहनों के मालिकों को सूचना की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभ्यर्पित कागजात वापस लेने संबंधी सूचना भेजनी थी । अन्यथा अभ्यर्पण स्वतः अस्वीकृत हो जायेगा तथा अर्थदंड सहित कर की वसूली उनसे की जायगी । जिला परिवहन कार्यालय मुँगेर में पाया गया कि वर्ष 1998-1989 के दौरान कर भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु 5 मोटर वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किये गये ।जि.प. पदा. ने कागजातों की जाँच के बाद जून 1996 में अभ्यर्पण को अस्वीकृत कर दिया परन्तु फरवरी 1990 से कर की वसूली नहीं किया ।फलस्वरूप 7.42 लाख रूपये के कर का उदग्रहण नहीं हुआ । इसे बताये जाने पर जि.प.पदा. ने जुलाई 2002 में कहा कि वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया जायगा । तदन्तर उतर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2004) मामला सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया ।जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2004)

4.5	**संग्रहित राजस्व को जमा करने में विलम्ब के कारण हानि**– बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान के अन्तर्गत सभी लेन-देन की अविलम्ब लेखापित करना चाहिए तथा लोक लेखा में जमा करना चाहिए । सरकार द्वारा जून तथा नवम्बर 1978 में जारी अनुदेशों के अनुसार संग्रहणकर्त्ता बैंको को कारारोपण अधिनियम के अन्तर्गत वाहन मालिकों द्वारा जमा कराया गया कर, फीस आदि की राशि का हस्तानतरण भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई) सचिवालय शाखा, पटना में करना है । 1996 में जारी रा.प.आ. के अनुदेश के अनुसार वाहन मालिकों द्वारा अप्रील से फरवरी तक बैंक में जमा कराये गये राशि का हस्तांतरण एस. बी. आई. सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार होना है कि पिछले माह की सभी प्राप्तियाँ अगले माह के प्रथम सप्ताह तक हस्तान्तरित हो जाये । पुन: मार्च माह में कराये गये सभी जमा राशि का हस्तान्तरण 31 मार्च तक अवश्य हो जाये ताकि एक वित्तीय वर्ष की सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी खाता में हस्तान्तरित हो जाये। **1995 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार सरकारी खाता में बिलम्बित जमा राशि पर 11.30 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज बैंक द्वारा भुगतेय है।**
4.5.1	**सरकारी खाता में राजस्व का हस्तान्तरण नहीं करने के कारण राजस्व की वसूली का नहीं होना** –जि.प.पदा. पटना तथा रा.प.आ. बिहार पटना के कार्यालयों में पाया गया कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 31 मार्च 2002 को 33.99 लाख रूपये तथा दो बैंको में 31 मार्च 2003 को 2.86 करोड़ रूपये अन्त शेष था । जिसका हस्तान्तरण एस.बी. आई. सचिवालय शाखा, पटना के माध्यम से सरकारी खाता में उसी वितीय वर्ष में नही किया गया । इसे बताये जाने पर जि.प.पदा. पटना ने नवम्बर 2002 में कहा कि 30 मार्च 2002 को 32.40 लाख रूपये का एक चेक जारी किया गया फिर भी इसे 31 मार्च 2002 तक सरकारी खाता में हस्तान्तरित नहीं किया गया । उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि राशि चेक के माध्यम से 5 अप्रील 2002 को भेजी गयी थी । पुनश्च, रा.प.आ. पटना ने मई 2003 में कहा कि 2.14 करोड़ रूपये की शेष राशि के सरकारी खाता में हस्तान्तरण की प्रक्रिया चेक के माध्यम से किया जा रहा है । विभाग का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष मे संग्रहित राशि को सरकारी खाता में उसी वित्तीय वर्ष में जमा करना होता है ।
4.5.2	**ब्याज के रूप में राजस्व की हानि**– जि.प.पदा. पटना रा.प.आ. बिहार पटना के कार्यालयों में पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, पटना द्वारा वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इंन्डियन बैंक तथा कारोपोरेशन बैंक पटना द्वारा वर्ष 2002-2003 में संग्रहित कर राशि का एस.बी.आई. सचिवालय शाखा पटना में विहित समय के अन्दर सरकारी खाता में उसी वितीय वर्ष में भेजने हेतु हस्तान्तरण नहीं किया गया ।विलम्ब एक माह से सात माह के मध्य था । इस प्रकार ब्याज के रूप में 38.91 लाख रूपये सरकारी राजस्व की हानि हुई । इसे बताये जाने पर जि.प.पदा. पटना ने नवम्बर 2002 तथा मई 2003 में कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा एवं रा.प.आ. बिहार पटना ने कहा कि ब्याज की राशि जमा कराने हेतु संबंधित बैंको को निदेशित किया जा रहा है । तत्पश्चात उत्तर प्राप्त नही हुए है । (अगस्त 2004) । मामला में सरकार को सितम्बर 2003 प्रतिवेदित किया गया ।उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2004) ।

लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकायें वर्ष 2003-2004

कंडिका	आपत्तिग्रस्त कंडिका
4.2	**कर संग्रहण पर नियंत्रण की कमी-** बिहार मोटर वाहन करारोपण (बि.मो.वा.क) अधिनियम, 1994 समय-समय पर संशोधित तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी वाहन पर कर वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरम्भ से 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है । समय से कर का भुगतान नहीं करने पर विहित दर पर अर्थदण्ड लगता है । तदन्तर, (मो.वा.) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि वाहन मालिक अपना आवास/व्यवसाय का स्थान बदल दिया हो तो उसे 30 दिनों के अन्दर मूल पंजीयन प्राधिकारी को अपना नया पता सूचित करना होगा । **15 जिला परिवहन कार्यालयों (जि.प.का) औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, खगड़िया, मुंगेर मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियॉ सासाराम तथा सिवान** में सितम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य देखा गया कि 875 परिवहन वाहन मालिकों ने मूल पंजीयन कार्यालयों में कर देना बंद कर दिया था तथा कर भुगतान नहीं करने का कोई कारण भी अभिलेखित नहीं था । जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा के एक मामला को छोड़कर जहॉ मॉंग पत्र निर्गत किया गया किन्तु कर अबतक वसूल नहीं हुआ, विभाग द्वारा कर वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी । इसके फलस्वरूप अप्रील 1999 से जनवरी 2004 की अवधि से संबंधित 5.39 करोड़ रूपये अर्थदण्ड सहित 8.09 करोड़ रूपये के कर की वसूली नहीं की गयी । सितम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य लेखापरीक्षा में बताये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर ने फरवरी 2004 में कहा कि मॉंग पत्र निर्गत किये जा चुके है तथा अन्य जिला परिवहन पदाधिकारी ने सितम्बर 2003 तथा मार्च 2004 के मध्य कहा कि बकाया कर के लिए मॉंग पत्र निर्गत किये जायेंगे । तदपश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2004) । मामले सरकार को जून 2004 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2004)

4.3	**वाहनों से कर की वसूली नहीं होना**– बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब मोटर वाहन मालिक अपने वाहन का उपयोग किसी खास अवधि के लिए जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता है तो उसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा कर भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्ते छूट का दावा आवश्यक साक्ष्यों जैसे पंजीयन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, कर प्रतीक (टैक्स टोकन) आदि से समर्थित हो तथा कर प्रतीक एवं निबंधन प्रमाण पत्र के समर्पण के साथ इस प्रकार घोषणा करता हो। यदि कथित अवधि के विस्तार की जरूरत हो, वाहन मालिक को, संबंधित करारोपण पदाधिकारी को अवधि विस्तार हेतु वचनपत्र जमा करना चाहिए । दिसम्बर 1990 में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी को चाहिए कि उपयोग में नहीं लाये जाने वाले वाहनों के समर्पण को स्वीकार करने से पूर्व के बकाये कर की वसूली कर ली जाय । **छः जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, तथा सासाराम** में सितम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य यह देखा गया कि 77 मोटर वाहनों के कागजात दिसम्बर 2001 तथा दिसम्बर 2002 के मध्य अभ्यर्पित किये गये परन्तु किसी भी वाहन मालिक द्वारा अवधि बढ़ाने हेतु वचनपत्र प्राप्त नहीं हुए । ऐसे वचनपत्र के अभाव में वाहन मालिक जुलाई 2002 से फरवरी 2004 के बीच की अवधि के लिए 30.58 लाख रूपये के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे । सितम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के मध्य लेखापरीक्षा में बताये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, सासाराम ने कहा कि मांग पत्र निर्गत किये जा चुके है जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने कहा कि माँग पत्र निर्गत किये जा रहे हैं तथा तीन जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि कार्रवाई की जायेगी । तदपश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं हुए है।(सितम्बर 2004) मामले सरकार को फरवरी तथा मई 2004 के मध्य प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004) ।
4.4	**बैठने की क्षमता का संशोधन नहीं/कम करने के कारण कर का अवनिर्धारण**– बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1940 के नियम 126 के प्रावधानों तथा दिसम्बर 1998 एवं सितम्बर 2000 में रा.प.आ. द्वारा निकाले गये कार्यपालक अनुदेशो के अन्तर्गत लोक सेवा वाहनों के सीट की क्षमता का निर्धारण वाहनों के चक्का पर आधारित होना चाहिए । पर्यटक कोच के सीटों की क्षमता का निर्धारण केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधानों को ध्यान में रख कर करना चाहिए । करारोपण बि.मो.वा.क. अधिनियम के अनुसूची-I तथा II में उल्लिखित दर पर किया जाना चाहिए । अगस्त 2002 तथा दिसम्बर 2003 के मध्य **पांच जि.प.पदा. औरंगाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियॉ तथा सासाराम** द्वारा निर्गत निबंधन पंजियों तथा विवरणियों की जांच के दौरान पाया गया कि 17 वाहनों के सीटों की क्षमता का पुनर्निर्धारण जनवरी तथा नवम्बर 1999 के मध्य किया गया परन्तु उन वाहनों से संशोधित दर पर कर की वसूली पुनर्निर्धारण की तिथि के बदले अक्टुबर 2000 तथा जुलाई 2002 के मध्य की अवधि से की गयी एवं अन्य 38 वाहनों के सीटों की क्षमता का पुनर्निर्धारण चक्कों के आधार पर नहीं किया गया । इसके फलस्वरूप 20.24 लाख रूपये के कर की वसूली नहीं/ कम की गयी । अगस्त 2002 तथा दिसम्बर 2003 के मध्य लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर जि.प.पदा.,पूर्णियॉ ने कहा कि पुनर्निर्धारण की कार्रवाई की जायगी तथा अन्तर कर की वसूली कर ली जायगी जबकि अन्य जि.प.अ. ने कहा समीक्षा के बाद कार्रवाई की जायगी । तदपश्चात् उत्तर की प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2004) । मामले सरकार को फरवरी 2004 में प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2004) ।

वर्ष 2004-05 के लोक लेखा सामिति के लोक अनुपालन की स्थिति ।

कंडिका	आपत्तिग्रस्त कंडिका
कंडिाक 4.2.5	**आन्तरिक नियंत्रण तंत्र-** आन्तरिक नियंत्रण, कानूनों नियमों एवं विभागीय अनुदेशो के समुचित प्रवर्त्तन के लिए एक उचित आश्वासन प्रदान के लिये उद्देशित होते हैं । आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक, को प्राय: संगठन को इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करने वाले सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है कि विहित प्रणालियाँ उचित रूप से कार्य कर रही है । वित्त विभाग के मई 1960 के आदेश के अनुसार वित्त (अंकेक्षण) विभाग, परिवहन विभाग सहित राज्य सरकार के सभी विभागों के आन्तरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है । वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि में वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने परिवहन विभाग की आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की । बि.मो.वा.क. नियमावली, बकाये कर की समय से वसूली पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये, प्रत्येक कराधान अधिकारी द्वारा मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी (डी.सी. बी. रजिस्टर) का संधारण करने एवं उसे आवधिक अद्यतन किये जाने का प्रावधान करता है। जिन 14 जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी उनमें से किसी भी कार्यालय में मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी संधारित नही पायी गई जो समय से मांग निर्धारण और उनकी वसूली किये जाने के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण नहीं रखे जाने का सूचक था ।

कंडिका 4.2.6

<u>राजस्व की प्रवृत्ति</u> बिहार बजट कार्यविधियाँ (बि.ब.का.) प्रावधान करती है कि राजस्व और प्राप्तियों के प्राक्कलन में वह राशि दर्शायी जानी चाहिए जिसे वर्ष के भीतर वसूल कर लिये जाने की आशा है । अगले वर्ष के लिये निर्धारित राजस्व का प्राक्कलन बनाते समय इसकी संगणना विगत वर्षो के बकायों को शामिल करते हुए वास्तविक मांग तथा वर्ष की अवधि में उनकी वसूली की सम्भावनाओं के आधार पर की जानी चाहिए। अस्थिर राजस्व के मामले में प्राक्कलन को पिछले तीन वर्षो की प्रप्तियों की तुलना पर आधारित किया जाना चाहिए ।

व्यय करने वाले पदाधिकारियों से प्राप्त बजट की जांच नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा किये जाने तथा उसे वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता होती है । बजट प्राक्कलनों, वित्त लेखों के अनुसार की गई प्राप्तियों और विभाग द्वारा प्रस्तुत वसूल किये गये राजस्व के आंकड़ों की तुलना में निम्नलिखित भिन्नताओं का पता चला:-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वित लेखों के अनुसार प्राप्तियाँ	विभाग के अनुसार प्राप्तियाँ	बजट प्राक्कलनों और प्राप्तियों के बीच भिन्नता (प्रतिशत)
2001-02	160.00	141.54	133.10	(-) 11.54
2002-03	205.00	177.98	177.54	(-) 13.18
2003-04	275.00	209.50	217.91	(-) 23.82

प्राप्त राजस्व, बजट अनुमानों की अपेक्षा सदैव कम था और वर्ष 2001-04 की अवधि में बजट अनुमान और प्राप्त राजस्व की यह भिन्नता 11.54 प्रतिशत और 23.82 प्रतिशत के बीच स्थित रहीं । इस भिन्नता का कारण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को बतलायी गयी प्राप्तियों और वित्त लेखाओ में दर्शायी गयी प्राप्तियों के आंकड़ो में भी अन्तर पाया गया । यह सुनिश्चित करने के लिये कि संग्रहित राशि को उचित रूप से लेखांकित कर लिया गया है, विभागीय आंकड़ो और वित्तीय लेखाओं में अंकित आंकड़ो के बीच विभाग द्वारा नियमित समाधान किया जाना वांछित है, जो नहीं किया गया था ।

वर्ष 2001-04 की अवधि के लिये **12 जिला परिवहन कार्यालयों (बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पूर्णिया तथा वैशाली)** के राजस्व संग्रहण आंकड़ो की, इन 12 जिला परिवहन कार्यालयों के राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ो के साथ की गयी तिर्यक जाँच से भी 1.19 करोड़ रूपये का अन्तर पाया गया । आंकड़ो में भिन्नता से यह संकेतित था कि या तो जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों/ विवरणियों की शीर्ष स्तर पर समुचित जाँच नही की गयी थी अथवा जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा दिये गये आंकड़े अधूरे थे ।

<u>संग्रहण के लिये लम्बित बकाये</u>- विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित, 31 मार्च 2004 के अन्त में 85.75 करोड़ रूपये के बकाया राजस्व की राशि संग्रहण के लिये लम्बित थी और सभी बकायों की वसूली भू-राजस्व के जैसा नीलामवाद दायर कर किया जाना था। नीलामवाद मामलों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से स्पष्ट हुआ कि नीलामवाद मामलों के निष्पादन के लिए आन्तरिक नियंत्रण एवं संचालन का पूर्ण अभाव था, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:-

<u>नीलामवाद मामलों का समाधान नहीं किया जाना</u> :-

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत बकाये कर की वसूली, बाकया भू-राजस्व के रूप में नीलामवाद प्रक्रियाओं के द्वारा की जा सकती है । बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, (बि.ए.उ.ला.मा.व.अधि) 1914 के प्रावधानों के अन्तर्गत, अधियाचना अधिकारी नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिये नीलामवाद पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजता है और इस प्रकार के मामलों का विस्तृत विवरण पंजी- IX में प्रविष्ट करता है । क्रमानुसार इन्हें बकायों की वसूली के लिये नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा संधारित पंजी-X में प्रवेशित किया जाता है । **10 जिला परिवहन कार्यालयों (बेतिया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर नालन्दा और वैशाली),** में संबंधित अभिलेखों के साथ पंजी - X की नमूना जांच से पता चला कि पंजियो का संधारण उचित रूप से नहीं किया गया था, अर्थात निबटाए गये मामलों और शेष को प्रदर्शित करते हुए उन्हें आवधिक रूप से बन्द नही किया गया था तथा अधियाचना अधिकारी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नही किया गया था । अधियाचना अधिकारी द्वारा पंजी-X के

कंडिका 4.2.7

साथ पंजी -IX का समाधान किये जाने की जानकारी भी अभिलेखों में नहीं थी । इसके फलस्वरूप नीलामवाद मामलों के निपटारे से संबंधित वास्तविक स्थिति की जानकारी पंजी-IX से प्राप्त नहीं की जा सकी । तथापि, वर्ष 2001-02 से 2003-04 की अवधि के लिये 10 जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ो की स्थिति निम्नानुसार थी:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		योग		कुल		निस्तारण		अन्त शेष		निस्तारण की प्रतिशतता
	मामले की संख्या	राशि	मामलो की सं0	राशि	मामले की सं0	राशि	मामले की सं0	राशि	मामले की सं0	राशि	
2001-02	7.193	21.69	338	1.02	7.531	22.71	152	0.24	7,375	22.63	1.1
2002-03	7.615	23.73	1,707	7.00	9.322	30.73	399	0.54	8,923	29.45	1.8
2003-04	8.834	26.30	249	3.41	9.023	29.71	195	0.35	8,888	29.85	1.2

अगले वर्ष का प्रारम्भिक शेष पिछले वर्ष के अंतिम शेष से मेल नही खाता है तदन्तर 31 मार्च 2004 को 29.85 करोड़ रूपये से अन्तर्ग्रस्त 8,888 नीलामवाद के मामलें संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों में लम्बित दिखलाये गये थे । राशि के दृष्टिकोण से निस्तारण दर 1.1 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत के बीच रहा जिसने इंगित किया कि संचालन (अनुवीक्षण) का अभाव था ।

ख. वाहन मालिको का पता नहीं लगने के कारण लौटाए गये नीलामवाद के मामले- जिला नीलामवाद कार्यालयों में संधारित पंजी-X और उनके द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गये विवरणों की नमूना जांच से उद्घटित हुआ कि वसूली नीलामवाद प्रस्तावों के 427 मामले जिसमें 3.18 करोड़ रूपये अन्तर्निहित थे तथा जिन्हें वर्ष 1991-92 से 2003-04 तक की अवधि में **आठ जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर,बेतिया, छपरा, गया, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और वैशाली)** द्वारा भेजा गया था, उन नीलामवाद प्रस्तावों में वाहन मालिको को पता गलत रहने जैसी अपर्याप्त सूचना रहने के कारण नीलामवाद पदाधिकारियों द्वारा अप्रील 2001 और दिसम्बर 2004 के बीच लौटा दिये गये । नीलामवाद पदाधिकारी की पृच्छाओं पर त्वरित अनुपालन किये जाने की दिशा में अधियाचना पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी । इस प्रकार अधियाचना पदाधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप बकायों की वसूली के लिये नीलामवाद मामले दायर नहीं किये जा सके।

<u>अभुगतित करों पर नियंत्रण का अभाव</u>

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर का भुगतान उसी निबंधन प्राधिकारी को किया जाना है, जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है । निबंधन प्राधिकारी,वाहन मालिकों को कर भुगतान करने से छूट प्रदान कर सकता है यदि वह सन्तुष्ट हो कि छूट प्राप्त करने के लिये निर्धारित शर्तो को वाहन मालिकों द्वारा पुरा कर लिया गया है ।

निवास स्थान/व्यवसाय स्थल में परिवर्तन के मामले में, वाहन मालिक नये निबंधन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि पूर्ववर्ती निबंधन प्राधिकारी से प्राप्त, जैसा कि विहित है, ''आनापत्ति प्रमाण पत्र'' (अ.प्र.प.) प्रस्तुत करें । वसूली सुनिश्चित करने के लिये, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मांग पत्र निर्गत किया जाना वांछित है और मांग पत्र का जवाब नहीं दिये के मामले में, समय-समय पर विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशो के अनुसार नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ किया जाना है । समय सीमा के भीतर कर का भुगतान नहीं किये जाने के लिए अर्थदण्ड भी आरोपति किया जाना है ।

24 जिला परिवहन कार्यालयों (अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, भालगपुर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पूर्णियॉ, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली) के कराधान पंजियों (कराधान पंजी बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली में विहित प्रावधानों के अधीन व्यक्तिगत वाहनो को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिये अलग-अलग पृष्ठ आवंटित करते हुए प्रपत्र- एम में संधारित एवं पंजी) में की गई प्रविष्टियों की नमूना जांच से पता चला कि 1,215 परिवहन विभाग के मालिकों ने अप्रील 1999 तथा नवम्बर

2004 के बीच की अवधि के लिये 22.92 करोड़ रूपये के बकाये कर का भुगतान 31.03.2004 तक नहीं तक नही किया था । इसमें से 33 वाहन सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों से सम्बद्ध था जिनमें 1.44 करोड़ रूपये का कर अन्तर्निहित था । अभिलेखों में न तो माँग-पत्र निर्गत किये जाने का उल्लेख पाया गया, न ही मालिकों के पते में परिर्वतन होने अथवा कर भुगतान नहीं किये जाने की अवधि में कर भुगतान से छुट प्राप्त करने के लिए वाहनों के कागजात अम्यर्पित किये जाने का उल्लेख पाया गया । चुँकि माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी का संधारण नहीं किया गया था, संबंधित निबंधन प्राधिकारी राजस्व की वसूली पर प्रभावकारी नियंत्रण का उपयोग नहीं कर सके ।

जुलाई 2005 में इसे विभाग को बतलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 में कहा कि सीतामढ़ी और वैशाली के आठ वाहन मालिकों से 12.48 लाख रूपये वसूली कर ली गयी है और **10 जिला परिवहन कार्यालयों (औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली)** के मामले में माँग-पत्र जारी कर दिये गये है जबिक **तीन जिला परिवहन कार्यालयों (औरगाबाद, सीतामढ़ी और वैशाली)** में नीलामवाद के मामले दायर किये गये है: शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2005) ।

कंडिका 4.2.8

<u>अभ्यर्पण में सम्मिलित वाहनों से कर की प्राप्ति नहीं होना :-</u> बि.मो.वा.क. अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब कोई मोटर-वाहन मालिक एक निश्चित अवधि के लिये अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है, जो एक समय में छः महीने से अधिक की नहीं हो, तो उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने की अवधि के लिये कर भुगतान करने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि छूट का दावा निबंधन प्रमाण, योग्यता प्रमाण पत्र कर प्रतीक आदि जैसे आवश्यक प्रलेखों को अभ्यार्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो । वाहन मालिक को समय समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष अभ्यर्पण की अवधि विस्तार को बढ़ाने के लिये, यदि कोई हो, वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

यदि उपरोक्त वचन पत्र द्वारा आवरित अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग किया जा रहा है अथवा वाहन को उसके वचन पत्र में उल्लिखित स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा जा रहा है । तो इस अधिनियम का प्रयोजन के लिय यह माना जायेगा कि उक्त सम्पूर्ण अवधि के लिये कर का भुगतान किये बना उसका उपयोग किया गया है । दिसम्बर 1990 में जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार वाहन का उपयोग नहीं करने संबंधी प्रलेखों का अभ्यर्पण स्वीकार करने से पूर्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा बकाये कर की वसूली कर लिया जाना आवश्यक है ।

पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान से संबंधित कराधान पंजी, अभयर्पण पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों की जाँच पड़ताल से 299 वाहनों के लिये अन्तर्निहित 2.22 करोड़ रूपये का कर वसूल नहीं किये जाने का पता चला, जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

क्र. सं.	जि.प. कार्यालायों का नाम	वाहनों की संख्या	सम्मिलित अवधि	अनियमितताओं का स्वरूप	राशि
1	20 जिला परि कार्यालय (अररिया, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा गया, गोपालगंज, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर मुज0, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सिवान, और वैशाली)	247	अगस्त 2001 में मार्च 2005	नये वचन पत्र के बिना छह महीने से अधिक अवधि के लिये अभ्यर्पित वाहनों के संबंध में राजस्व की वसूली के लिये विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया ।	1.03
2	पटना	34	अगस्त 2002 में मार्च 2005	34 वाहनों के अभ्यर्पण आवेदन 34 वाहनों के अभ्यर्पण आवेदन रद्द किये गये किन्तु अद्यतन कर की वसूली पांच मामलों में वाहनों को निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पाये जाने के अधिनियम के अनुसार शर्ते पूरा नहीं किये जाने के कारण नही की गई।	1.00
3	दरभंगा, गया, गोपालगंज, मोतिहारी, और मुजफ्फरपुर	18	जून 1999 से नवम्बर 2004 (वाहन जुलाई 2002 और अक्टबुर 2003 के बीच अभ्यर्पित किय गये थे)	अद्यतन कर की वसूली किये बिना अभ्यर्पण स्वीकार किया जाना	0.19
	कुल	299			222

	विभाग को इसे जुलाई 2005 में बतलाये जाने पर विभाग, ने सितम्बर 2005 में जवाब दिया कि जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा ने माँग पत्र निर्गत कर दिये है ।	
कंडिका 4.2.9	**<u>छूट के मामले लम्बित रहने के कारण अवरूद्ध राजस्व:-</u>** बि.मो.वा.क. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई कराधान पदाधिकारी यदि किसी मोटर वाहन मालिक से एक शपथ पत्र के साथ प्राप्त आवेदन पर छानबीन करने के बाद सन्तुष्ट है कि एक कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि तक के लिए मोटर वाहन का लगातार उपयोग बिहार में नहीं किया गया है तो उसे कर भुगतान करने से छूट प्रदान कर सकता है तथा बिहार के राज्य परिवहन आयुक्त को सूचना के अधीन बकाये कर की अधिकतम 4000.00 रूपये की राशि बट्टे खाते में डाल सकता है । बकाये कर की राशि यदि 4000.00 रूपये से अधिक हो तो इस विषय पर निर्णय के लिये इसे बिहार के राज्य परिवहन आयुक्त अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है । राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यालय में छूट पंजी की जाँच से पता चला कि अप्रील 2002 और अप्रील 2005 के बीच **25 जिला परिवहन कार्यालयों (औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली)** ने 320 वाहनों के संबंध में कर भुगतान करने से छूट की अनुमति के लिये प्रस्ताव भेजा था । इनमें से 85 मामलों में मांगी गयी छूट की अवधि एवं अन्तर्ग्रस्त राशि का विवरण अंकित नहीं पाया गया तथा जून 2005 तक 15 मामलों का निपटरा दिखलाया गया था और 88.69 लाख रूपये से अन्तर्ग्रस्त शेष 220 मामलों में कोई देखभाल नहीं किया गया था । **चार जिला परिवहन कार्यालयों (बेतिया, दरभंगा, मोतिहारी, और पटना)** में अभ्यर्पण पंजी एवं संबंधित अन्य अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि 37 वाहनों का अभ्यर्पण, जिनमें कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिये उच्च अधिकारियों की स्वीकृति वांछित थी, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अभ्यर्पण पंजी में उनकी प्रविष्टि कर ली गयी थी और वाहनों को मई 2001 से सितम्बर 2001 के बीच करमुक्त कर दिया गया था, परन्तु कर भुगतान से छूट की अनुमति प्रदान करने के लिये इन मामलों को जून 2005 तक उच्च अधिकारियों के पास नही भेजा गया था । इन मामले में 9.08 लाख रूपये का राजस्व अन्तर्ग्रस्त था । यह विषय विभाग को जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2005) ।	
कंडिका 4.2.10	**<u>योग्यता प्रमाण पत्रों का अनियमित निर्गम:-</u>** बि.मो.वा.क. अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मोटर वाहन से संबंधित कर का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो वैसे करदायी व्यक्ति को बकाये कर के साथ विहित दरों पर अर्थदण्ड का भी भुगतान करना होगा । मोटर वाहन अधिनियम प्रावधि करता है कि कोई परिवहन वाहन वैध रूप से निबंधित नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास विहित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत योग्यता प्रमाण पत्र (यो.प्र.प.) न हो । इसके अतिरिक्त समय-समय पर निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त के अनुदेशों, अन्ततम निर्गत अनुदेश फरवरी 1999 के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षक को यो.प्र.प. निर्गत करने के पूर्व अद्यतन कर भुगतान को सुनिश्चित कर लेना है । **सात जिला परिवहन कार्यालयों (दरभंगा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, नालन्दा और पटना)** द्वारा प्रस्तुत कराधान पंजियों/कम्प्यूटर विवरणियों के साथ मोटर वाहन निरीक्षक कार्यालयों के योग्यता प्रमाण पत्र पंजियों की तिर्यक जाँच से पता चला कि दिसम्बर 2000 से मार्च 2005 तक की अवधि के लिए 1.95 करोड़ रूपये के अद्यतन कर का भुगतान सुनिश्चित किये बिना मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा 77 वाहनों के लिये यो.प्र.प. निर्गत किये गये थे । चूँकि योग्यता प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं तदनुरूप अद्यतन कर भुगतान के संबंध में मो.वा.नि. द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी/राज्य परिवहन आयुक्त को भेजे जाने के लिये कोई प्रतिवेदन या विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी, वरिष्ठ (उच्च) प्राधिकारियों द्वारा आन्तरिक नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जा सका ।	

	विभाग को मामला जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया, विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया (सितम्बर 2005) ।	
कंडिका4.2.11	**<u>व्यवसायियों से व्यापार कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाना</u>:-** बि.मो.वा.क. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मोटर वाहनों के विनिर्माताओं या व्यवसायियों द्वारा विनिर्माता अथवा व्यवसायी की तरह किये गये व्यवसाय के क्रम में रखे गये मोटर वाहनों के लिये विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान किया जायेगा तथा इसमें विफल रहने पर बि.मो.वा.क. नियमों तथा मई 2001 में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा । नवम्बर 1990 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी को माँग पत्र निर्गत करना है और माँग पत्र का उत्तर नहीं मिलने की स्थिति में बकाये की वसूली सुनिश्चित करने के लिये नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ करना है। **चार जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली)** के व्यापार कर पंजियों की नमूना जाँच से स्पष्ट था कि 24 मोटर वाहन व्यवसायियों ने वर्ष 2000-01 से 2003-04 की अवधि के लिये व्यवसाय कर का भुगतान नहीं किया था । माँग-पत्र निर्गत किये जाने और नीलामावाद की प्रक्रिया आरम्भ किये जाने के संबंध में किसी कार्रवाई का उल्लेख अभिलेख में नहीं पाया गया । इसके फलस्वरूप 9.91 लाख रूपये के अर्थ दण्ड सहित 10. 81 लाख रूपये के राजस्व का उइग्रहण नहीं किया गया। जुलाई 2005 इसे विभाग को बतलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 में कहा कि जि.प.का. वैशाली द्वारा माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है । शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005) ।	
कंडिका4.2.12	**<u>सरकारी लेखा में राजस्व की राशि जमा किये जाने का सत्यापन किये बिना प्रलेखों का निर्गम</u>:-** बि.मो.वा.क. नियमावली तथा मई 1980 एवं सितम्बर 1996 के कार्यालयक अनुदेशों के अन्तर्गत जिला परिवहन पदाधिकारी इससे सन्तुष्ट हो लेने के बाद ही कि वाहन मालिक ने उसके द्वारा देय राशि जमा कर दिया है, आवश्यक कागजात/प्रमाण पत्र जिसके लिये राशि जमा की गयी है, निर्गत करेगा । जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कोई भी कागजात निर्गत किये जाने से पूर्व इस प्रकार जमा की गई का सत्यापन किया जाना आवश्यक है । जिला परिवहन कार्यालय पटना की कम्प्यूटर रोकड़ बही एवं मुद्रा प्राप्ति रसीदों की कार्यालय प्रतियों के साथ अनुज्ञप्ति एवं योग्यता प्रमाण पंजियों की तिर्यक जाँच से पता चला कि राजस्व को सरकारी लेखा में वस्तुत: जमा किये जाने की बात सुनिश्चित किये बिना, जिला परिवहन पदाधिकारी ने अगस्त 2002 ओर अक्टुबर 2003 के बीच 3,330 मामलों से संबंधित ज्ञानोर्जक चालन अनुज्ञप्तियों/चालान अनुज्ञप्तियों/स्वामित्व हस्तान्तरण/द्वितीयक निबंधन प्रमाण पुस्तिकाओं/योग्यता प्रमाण पत्रों आदि जैसे प्रलेख निर्गत किया था । मुद्रा प्राप्ति रसीदो में दिखलाई गयी 5.07 लाख रूपये की राशि की राशि न तो कम्प्यूटर रोकड़ बही में अभिलेखित था न ही उसे कोषागार में जमा किया गया था । अक्टुबर 2003 की लेखापरीक्षा में इस बतलाये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने जून 2005 में प्रतिवेदित किया कि आवेदकों से 4.95 लाख रूपये की वसूली कर ली गयी है और शेष राशि की वसूली के लिये कार्रवाई की जा रही था ।	
	<u>अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों को नया निबंधन चिह्न प्रदान किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना</u>:- मोटर वाहन अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन जब अन्य राज्य से संबंधित मोटर वाहन को इस राज्य में बारह महीने से अधिक की अवधि के लिये रखने की इच्छा की जाती है तो वाहन मालिक को इस आशय का घोषणा पत्रा जमा कर 12 महीने के भीतर या 12 महीने बीतने के बाद 30 दिनों के भीतर किसी समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (अना.प्र.प.) एवं उपयुक्त शुल्क के साथ वाहन का नया निबंधन चिह्न प्रदान करने के लिये आवेदन देना होता है । वाहन मालिक	

	यदि विहित अवधि के भीतर आवेदन देने में विफल हो जाता है तो उसे निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अधिकतम 100 रूपये तक का जुर्माना भुगतान करना आवश्यक है । **चौदह जिला परिवहन पदाधिकारियें के कार्यालयों (बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मुंगेर, मधुबनी, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली)** में मूलत: अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों के लिये ''वर्तमान पता पंजी'' (''वर्तमान पता पंजी''- अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों के लिये विहित पंजी जिसका संधारण निबंधन पंजी के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार किया जाना है।) की जाँच ने दिखलाया कि वर्ष 1999 से 2004 की अवधि में अन्य राज्यों से संबंधित 2,856 मोटर वाहन इस राज्य में 12 महीनों से अधिक अवधि में अन्य राज्यों से चल रहे थे । विभाग द्वारा इन वाहनों को न तो नया निबंधन चिह्न प्रदान करने की कार्रवाई की गयी थी न ही सूचना निर्गत किये जाने के संबंध कोई कार्रवाई किये जाने का उल्लेख ''वर्तमान पता -पंजी'' में पाया गया । इसके फलस्वरूप जुर्माना सहित शुल्क के रूप में 9.94 लाख रूपये का उद्ग्रहण नहीं हुआ । जुलाई 2005 में इसे विभाग को बतलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 में जवाब दिया कि जिला परिवहन कार्यालय वैशाली से संबंधित पांच वाहन मालिको 0.02 लाख रूपये की वसूली कर ली गई है और छह जिला परिवहन पदाधिकारियों (**बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, और वैशाली**) द्वारा माँग-पत्र निर्गत किये गये है, शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2005)	
कंडिका4.2.13	**<u>निबंधन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाना</u>**:- के.मो.वा. नियमावली के साथ पठित मो.वा. अधिनियम प्रावधित करता है कि परिवहन वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के लिये निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, इन्हें निर्गत किये जाने की तिथि से 15 वर्षो की अवधि के लिये वैध रहेंगे तथा एक विहित शूल्क का भुगतान किये जाने पर अगले पांच वर्षो की अवधि के लिये इनका नवीनीकरण किया जायेगा । वाहन मालिक यदि निबंधन समाप्त हो जाने के बाद 60 दिनों के भीतर नवीनीकरण के लिये आवेदन देने में विफल रहता है तो अधिकतम 100 रूपये तक का दण्ड आरोपणीय है । रा.प.आ. ने जून 1991 में कहा कि ऐसे वाहन समय रहते निबंधित हो जाने चाहिए । **तेरह जिला परिवहन कार्यालयों (बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मोतिहारी, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली)** के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 3,662 वाहनों (परिवहन वाहनों से भिन्न) के निबंधन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण, उनका निबंधन समाप्त होने की उक्त अवधि (15वर्ष) के बाद नहीं किया गया, हालाँकि उनकी समाप्ति अप्रील 1999 से नवम्बर 2003 के बीच हो चुकी थी । अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह ज्ञात होता कि उन वाहनों का स्थानान्तरण उनके मूल क्षेत्रों/ राज्यों में हो चुका है । संबंधित जि.प. पदा. ने इन वाहनों के निबंधन के लिये कोई कार्रवाई नहीं की यद्यपि 1991 में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों में, ऐसे वाहनों के निबंधन का समय पर नवीनीकरण करने की बात दुहरायी गयी थी । निबंधन का नवीनीकरण कराये बिना हो रहे वाहन परिचालन को रोकने की दिशा में प्रवर्तन शाखा द्वारा किये गये किसी प्रयास का उल्लेख अभिलेखों में नहीं पाया गया । इसके फलस्वरूप 3.66 लाख रूपये के आरोपणीय दण्ड सहित 9.74 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नही की गयी । मामला विभाग को जुलाई 2005 में बतलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 में जवाब दिया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा 0.01 लाख रूपये की वसूली कर ली गयी है तथा पाँच जिला परिवहन पदाधिकारियों (बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, और वैशाली) द्वारा माँग निर्गत कर दिये गये है, शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2005) ।	
कंडिका4.2.14	**<u>अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों के निष्पादन में नियंत्रण का अभाव</u>**:- बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन-देन को अविलम्ब लेखा में लाया जाना और सभी प्राप्तियों को सरकारी लेखा में जमा किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय अनुमति योजना (नेशनल परमिट स्कीम) के अन्तर्गत संबंधित राज्यों से प्राप्त होने वाले संयुक्त शुल्क से संबंधित बैक ड्राफ्टों के लिये राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा एक बैक ड्राफ्ट पंजी का संधारण किया जाना वाँछित है । राज्य परिवहन आयुक्त के पास जमा किये गये बैक ड्राफ्टों की राशि का संग्रहण करने के लिये राज्य सरकार ने कुछ राष्ट्रीकृत बैंकों की प्राधिकृत	

किया है । मार्च 1996 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त ने अनुदेशों के अनुसार अप्रील से फरवरी की अवधि में बैंको द्वारा संग्रहित राशि को, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार स्थानान्तरित किया जाना है कि किसी माह विशेष की सभी प्राप्तियाँ आने वाले माह के प्रथम सप्ताह तक स्थानान्तरित हो जाये तथा मार्च महीने में संग्रहित राशि को 31 मार्च तक निश्चित रूप से स्थानान्तरति किया जाना है ताकि एक वितीय वर्ष में जमा की गयी सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखा में स्थानांतरति हो जाये । अप्रील 2003 में निर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेशों के अनुसार की लेखा में विलम्ब से प्रेषण के लिये बैंको द्वारा बैंक दर तथा दो प्रतिशत (भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रा दिनांक 29.04.2003 के अनुसार बैंक दर 6 प्रतिशत था) के हिसाब से ब्याज देय है । संग्रहित राशि को बैंकों द्वारा सरकारी लेखा में हस्तान्तरण करने की विफलता की स्थिति में, बैंक स्थित राशि के विरूद्व राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा चेक निर्गत किया जाना है ।

रा.प.आ. के कार्यालय में यथा उपलब्ध राजस्व संग्रहण करने वाले बैंकों (बैंक आफ बड़ौदा कॉरपोरेशन बैंक, इंन्डियन बैंक, एस. बी. आई. पटियाला और एस. बी. आई., बीकानेर एवं जयपुर) की बैंक समाधान विवरणियों की नमूना जाँच से पता चला कि संग्रहणकर्ता बैंकों ने राजस्व संग्रहण की राशि का सरकार की लेखा में जमा किये जाने के लिये भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा, पटना को एक महीने से लेकर 11 महीनों तक के विलंब से स्थानान्तरित किया ।राशि को सरकार की लेखा में विलंब से विप्रेषित किये गये जाने के लिये विभाग ने ब्याज का दावा नहीं किया जिसके फलस्परूप मार्च 2003 और फरवरी 2005 के बी की अवधि के लिये 1.85 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई ।

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना कार्यालय की बैंक ड्राफ्ट पंजी की जाँच से देखा गया कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त संयुक्त शुल्क के 9.61 करोड़ रूपये के 26.093 बैंक ड्राफ्टों को, जुलाई 2003 से मार्च 2005 की अवधि में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा छः बैंको (ईलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया (मुख्य शाखा) बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एस.बी.आई. पटियाला तथा एस.बी.आई बीकानेर एंड जयपुर) को भेजा गया था, परन्तु उक्त राजस्व को सरकार की लेखा में स्थानान्तरण के लिये राज्य परिवहन आयुक्त ने भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना के पक्ष में चेक निर्गत नहीं किया । इस प्रकार सरकार का राजस्व बैंको के पास अवरूद्ध रहा।

बैंक ड्राफ्ट पंजी की नमूना जाँच से पता चला कि अप्रील 2001 से मार्च 2004 की अवधि से संबंधित अन्य राज्यों से प्राप्त संयुक्त शुल्क की 27. 17 लाख रूपये की राशि के 743 समाप्त हो चुक (एक्सपायर्ड) बैंक ड्राफ्टों को, राज्य परिवहन आयुक्त ने मार्च 2005 में पुनवैधीकण के लिये विभिन्न प्राधिकृत बैंकों को भेजा था । सरकार का राजस्व अवरोधित था क्योंकि समाप्त हो चुके बैंक ड्राफ्ट लंबित रहे (जून 2005) ।

<u>निष्कर्ष:-</u>

वसूली की विभिन्न अवस्थाओं में संग्रहण के लिये लंबित मोटर वाहन करों की विशाल राशि की माँग प्रस्तुत करने तथा उसकी वसूली के लिए परिवहन विभाग उपयुक्त आन्तरिक नियंत्रण का प्रयोग नहीं कर सका ।वाहन करों के भुगतान से छूट की स्वीकृति प्रदान करने में भी उचित सुरक्षा साधनों का उपयोग नहीं किया गया ।

<u>अनुशंसाएँ :-</u>

सरकार इनका परीक्षण तथा विचार कर सकती है:

अभुगतित करों की वसूली के लिये नीलामवाद प्रक्रियाओं द्वारा अनुसरित माँग पत्र निर्गत करने के लिये उपयुक्त एवं समयानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक विशिष्ट एवं निश्चित तंत्र का निर्माण:

लंबित नीलामवाद मामलों का निष्पादन करने के लिये जिला नीलामवाद पदाधिकारी से तालमेल के साथ प्रभावकारी उपाय कराना, और

अप्राधिकृत वाहनों की अविलंब पहचान करने और कर की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवर्तन शाखा जिला परिवहन कार्यालय और

मोटर वाहन निरीक्षकों के कार्यों का अनुवीक्षण करने के लिये शीर्ष स्तर पर एक नियंत्रण प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए ।

<u>धूरा डाटावेस :-</u>

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 47 के अनुसार वाहनों के निबंधन के लिये प्रपत्र 20 विहित किया गया है जिसमें 33 क्षेत्रों की सूचनाएँ होती है । निकट्रान में सभी 33 क्षेत्रों का प्रावधान आंकड़ों की प्रविष्टी के लिए किया है ।

भागलपुर, पटना और पूर्णियाँ जिला परिवहन कार्यालयों के निबंधन डाटाबेस के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी (संलग्नक-1) आंकड़ा-प्रग्रहण (डाटा कैप्चर) आंशिक था । अनेक मामलों में अनिवार्य क्षेत्रों से संबंध रखने वाले आंकड़ों जैसे निबंधन तिथि, मालिक का नाम, पता, व्यवसायी का नाम, इंजन/चेसिस संख्या तथा बीमा प्रमाण-पत्र/कवर नोट संख्या/ तिथि की भी प्रविष्टि नहीं की गयी थी, जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

जि.प. कार्यालय	रिक्त भैल्यू रखनेवाले क्षेत्रो की कुल संख्या						
	वाहनों की सं0	निबंधन की तिथि	मालिक का नाम	पता	व्यवसायी का पता	ईन्जिन सं0/ चेसिस संख्या	बीमा कम्पनी/बीमा संख्या/तिथि
भागलपुर	36,896	5,390	8,371	6,946	10,031	8,758/ 6572	27838/2787
पटना	1,83,054	25,124	13,423	27,316	27,212	28,870/26,620	34,961/37,132/34,961
पूर्णियाँ	10713	24	शून्य	38	क्षे.उ.न. (क्षेत्र उपलब्ध नहीं)	शून्य/6	क्षे.उ.न.

कंडिका4.2.15

सरकार ने जवाब में कहा (सितम्बर 2005) कि भागलपुर और पटना जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस में छूटे हुए सभी आंकड़ों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई की जा रही है ।

केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना के अनुसार (जी एस आर 400 (ई) दिनांक 31.05.2002) 31 मई 2002 से वाहनों के मालिकों द्वारा उनकी वार्षिक आय और पैन/जी.आई.आर. (स्थायी लेखा संख्या/सामान्य इन्डेक्स निबंधन संख्या) संख्या बतलाया जाना अधिदेशात्मक (अनिवार्य) है । तीन जिला परिवहन कार्यालयों की लेखा परीक्षा में देखा गया कि इस प्रकार की कोई सूचना डाटाबेस में उपलब्ध नहीं थी । जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान डाटाबेस की जाँच कर पता चला कि जिन मामलों में बिहार के अन्य जिलों में/ राज्य से बाहर कर भुगतान करने का विकल्प व्यक्त किय गया था, नीचे की सारणी में दिखलाये गय प्रकरणों में (विवरण संलग्नक-II में)अना.प्र.प. प्रदान करते समय उस स्थान का नाम उल्लिखित नहीं था जहाँ कर भुगतेय होगा ।

जि.प.कार्यालय	उन मामलों की संख्या जिनमें अ.प्र.पत्र निर्गत किये गये थे ।	उन मामलों की संख्या जिनमें जिला/स्थान उल्लिखित नही था
भागलपुर	79	62
पटना	560	184
पूर्णिया	82	45

कुछ मामलों में स्थान के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी सूचनाएँ डाटाबेस से पुनः प्राप्त नहीं की जा सकी जिसके फलस्वरूप राजस्व की तिर्यक जाँच करने के लिये तथा समय पर उद्ग्रहण करने के लिए अन्य जिला परिवहन कार्यालयों को तत्काल
सूचना नहीं भेजी जा सकी ।

M-singh-p-8 to 38

वर्ष 2005-06 के लोक लेखा सामिति के लोक लंबित कंडिकाओं के अनुपालन की स्थिति ।

4.2	अभुगतित करों पर नियंत्रण का अभाव
	बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 में प्रावधानों के अन्तर्गत कर का भुगतान उसी निबंधन पदाधिकारी को किया जाना है, जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है । निबंधन प्राधिकारी, वाहन मालिकों को कर भुगतान करने से छूट प्रदान कर सकता है । यदि वह संतुष्ट हो कि छूट प्राप्त करने के लिए विहित शर्तो को वाहन मालिकों द्वारा पूरा कर लिया गया है । निवास स्थान/ व्यवसाय स्थल में परिवर्तन के मामलें में वाहन मालिक नये निबंधन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि पूर्ववर्ती निबंधन प्राधिकारी से, जैसा कि विहित है, अनापित्त प्रमाण-पत्र कर प्रस्तुत करें । वसूली सुनिश्चित करने के लिए निबंधन प्राधिकारी द्वारा मांग पत्र निर्गत किया जाना वांछित है और वाहन मालिकों द्वारा जवाब नहीं दिये जाने के मामलों में नीलाम वाद की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना है । देय तिथि से पहले कर का भुगतान नहीं करने पर बकाये कर पर 25 से 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड लगाया जाना है । आगे समय-समय पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों, जिनमें अद्यतन फरवरी 1999 में निर्गत किया गया था के अनुसार वाहन को योग्यता प्रमाण पत्र देने के पहले वाहन निरीक्षक को यह सुनिश्चित करना है कि वाहन मालिको द्वारा कर का अद्यतन भुगतान कर दिया गया है ।

कंडिका 4.2.1	आपत्ति विवरणी
	मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के बीच **29 जिला परिवहन कार्यालयों (डी.टी.ओ) (अररिया, आरा, औरगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भभूआ बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, सहरसा, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली)** के करारोपण पंजी के प्रविष्टियों की नमुना जाँच के दौरान यह पाया गया कि अप्रैल 2003 से दिसम्बर 2005 के अवधि से संबंधित 1262 वाहन मालिकों ने 30 करोड़ रूपये के बकाये कर (अर्थदण्ड सहित) का भुगतान नहीं किए थे। अभिलेखों में न तो माँग पत्र निर्णत किये जाने और न ही मालिकों के पते मे परिवर्तन होने अथावा कर भुगतान नही किए जाने की अवधि में कर भुगतान से छुट प्राप्त करने के लिए वाहनों के कागजात अभ्यार्पित किए जाने का उल्लेख पाया गया । इसे बतलाये जाने के बाद जुन 2006 में जिला परिवहन पदाधिकारी गया ने 88 वाहन मालिकों को 2.12 करोड़ रूपये के मांग पत्र जारी कर दिये थे । अन्य जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि कर के वसूली हेतु मांग पत्र जारी कर दिये जायेगें । आगे विभाग द्वारा वसूली प्रतिवेदन सहित उतर प्राप्त नहीं हुए है। (अक्टूबर 2006)

कंडिका 4.2.2	आपत्ति विवरण
	अप्रैल 2005 एवं मार्च 2006 के बीच **आरा, औरगांबाद, दरभंगा, गया, जहानाबाद, मोतिहारी, नालंदा, समस्तीपुर, और सासाराम** जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजियो के साथ योग्यता प्रमाण पत्र पंजी मं दर्ज प्रविष्टियों के तिर्यक जांच के दौरान यह पाया गया कि अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर 82 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्रों निर्णत कर दिये गये थें । परिवहन आयुक्त के आदेशों की अवहेलना के अतिरिक्त चूकों के कारण भी अप्रैल 2001 एवं फरवरी 2006 के बीच के अवधि से संबंधित 1.53 करोड़ रूपये (अर्थदण्ड सहित) के कर की राशि वसूल नही हुई थी ।इसे बतलाये जाने के बाद गया, नालंदा, समस्तीपुर और सासाराम के जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि मामले को संबंधित मोटर यान निरीक्षक को संदर्भित किये जायेगें । अन्य मामले में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006) । मामले सरकार को अप्रैल 2005 एवं अप्रैल 2006 के बीच प्रतिवेदित किए गये थें उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्टूबर 2006)।

	आपत्ति विवरणी
4.3	**अभ्यर्पण में सम्मिलित वाहनों पर कर से छूट/वसूली नहीं किया जाना**
	बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियामें के अधीन जब कोई मोटर वाहन मालिक एक निश्चित अवधि जो एक समय में छः महीने से अधिक की न हो अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है तो उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने की अवधि के लिए कर भुगतान करने से समक्ष पदाधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि छूट का दावा निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन आदि जैसे आवश्यक प्रलेखों को अभ्यर्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो । वाहन मालिकों समय-समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष यदि उनका अवधि का विस्तार हो तो उसे वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा । करारोपण पदाधिकारी को महीने में कम से कम एक बार वाहन के पार्किंग स्थल का भौतिक सत्यापन करना है और वाहनों के मामले अभिलेख में इस निरीक्षण के बावत ज्ञाप दर्ज करना होगा । यदि उपरोक्त वचन पत्र द्वारा आवरित अवधि के दौरान किसी भी समययह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग कियाजा रहा है अथवा वाहन को उसके वचन पत्र में उल्लिखित स्थन की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा जा रहा है तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह माना जाएगा कि उक्त सम्पूर्ण अवधि के लिए कर भुगतान किए बगैर उसका उपयोग किया जा रहा है । दिसम्बर 1990 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार वाहन का उपयोग नहीं करने संबंधी प्रलेखों का अभ्यर्पण स्वीकार करने से पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा बकाये कर की वसूली कर लिया जाना आवश्यक है ।

कंडिका 4.3.1	**आपत्ति विवरणी**

पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान से संबधित कराधान पंजी अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य संबंधित अभिलेखो की संविक्षा से **बेगूसराय, छपरा, गया, खगड़िया मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान एवं वैशाली** जिला परिवहन कार्यालयों में 125 वाहनों जो प्रत्यर्पण में सन्निहित थे, से संबंधित अर्थदण्ड सहित 1.31 करोड़ रूपये का कर वसूल नहीं किए जाने का पता चला, जैसा नीचे वर्णित है ।

क्र. सं.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या	सन्निहित कर की अवधि	अनियमिता	प्रभावित कर(लाख रूपये में)
1	10 जिला परिवहन कार्या0 बेगूसराय, गया, खगड़िया, मुज0, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर सासाराम, सीतामढ़ी और वैशाली ।	76	फरवरी 2001 से दिसम्बर 2005	वाहन मालिकों से नये वचन पत्र के बगैर छः महीने से अधिक अवधि के लिए वाहन अर्भ्यपण में रखे गये थे।	56.23
2	पांच जिला परिवहन कार्यालाय गया ,मोतिहारी, नालंदा, समस्तीपुर, और सीतामढ़ी ।	31	जनवरी 2002 से मार्च 2005	अद्यतन कर की वसूली किए बिना अभ्यर्पण स्वीकार किया जाना	53.92
3	सासाराम	02	अगस्त 2002 से अप्रैल 2005	विर्निदिष्ट स्थानों पर वाहन का नहीं पाया जाना	10.43
4	छपरा	07	मार्च 2004 से अक्टूबर 2005	भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने एवं वांछित अभिलेखो के अभ्यार्पित किए बगैर अभ्यर्पण स्वीकार किया गया।	2.16
5	सीवान	09	अप्रैल 2002 से सितम्बर 2005	एक मामले में वाहन पार्किग स्थल में नही पाया गया । चार मामलों मे अवधि विस्तार प्रस्तुत नहीं किये गये थे ।तीन मामलों में अभ्यर्पण की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं थे ।एक मामला में टैक्स टोकन के साथ-साथ निबंधन पत्र योग्यता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं कियें गये थे।	8.67
	कुल	125			131.41

कंडिका 4.3.2	**आपत्ति विवरणी**
	इस प्रकार जिला परिवहन कार्यालय बेतिया के अभिलेख से पुनः ज्ञात हुआ कि फरवरी 2003 एवं अक्टूबर 2005 के अवधि के लिए आठ वाहन मालिकों ने जिला परिवहन पदाधिकारी को अभिलेख अभ्यर्पण के पश्चात कर से छूट हेतु आवेदन दिया था । यद्यपि करारोपण पदाधिकारी छूट की अवधि के लिए उनमें से किसी एक भी वाहन के पार्किंग स्थल का भौतिक सत्यापन करने में विफल रहे जबकि अभ्यर्पण अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी आगे की अवधि हेतु कर की वसूली के पश्चात इन सभी वाहनों को पथ पर विचरन हेतु अनुमति दिये गये थे ।इस प्रकार वाहनों के पार्किंग स्थल का भौतिक सत्यापन किये बगैर ही इन मामलों में 9. 33 लाख रूपये की छूट प्रदान की गई थी, जो अनियमित था । मामले विभाग /सरकार को मार्च 2005 एवं अप्रैल 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे ।उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)

कंडिका 4.4	आपत्ति विवरणी
	<u>राजस्व का विलंब से हस्तानांतरण</u> बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेनदेन को बिना विलंब किये खाते में लाया जाना है और राशि को सरकारी खाते में जमा करना है । राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा मार्च 1996 एवं सितंम्बर 2002 में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्गत अनुदेशों के अनुसार, प्राधिकृत बैकों द्वारा प्रत्येक महीने में संग्रहीत फीस एवं कर की राशि को अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक सरकारी खाते में जमा हेतु हस्तांतरित करना है । आगे मार्च महीने में जमा राशि को कोषागार चालान द्वारा उसी महीने को 31 मार्च तक सरकारी खाते में हस्तांतरित करना है अक्टूबर 2002 एवं फरवरी 2003 में राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारीयों को अनुदेशित किया था कि राजस्व को समय पर सरकारी खाते में जमा कराने को सुनिश्चित करें । गोपालगंज, पटना एवं सीवान जिला परिवहन कार्यालयों के मासिक प्राप्ति रसीद राजस्व विवरणी एवं बैक समाधान विवरणी की संवीक्षा के दौरान जून 2005 में यह पाया गया कि जुलाई 2003 एवं अप्रैल 2005 के अवधि के मध्य प्राधिकृत बैकों द्वारा फीस एवं कर के रूप में जमा ली गई 25.61 करोड़ रूपये को विभागीय प्राधिकारी द्वारा 1 महीने से 7 महीने 22 दिन के विलम्ब से सरकारी खाते में जमा किया गया थे फिर भी राजस्व को समय पर सरकारी खाते में जमा कराने हेतु कोई आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कार्यरत नहीं था। इसे बतलाये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी ने जुन 2005 एवं फरवरी 2006 में कहा कि राजस्व को समय पर सरकारी ,खाते में जमा करने हेतु कार्रवाई की जायेगी ।
कंडिका 4.5	**<u>अतिरिक्त निबंधन फीस का उद्ग्रहण कम / नहीं किया जाना</u>** बिहार मोटर वाहन कर नियमावली 1992 के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक क्रमवार निबंधन संख्या से हट कर पसंदीदा निबंधन संख्या हेतु आवेदन देता है तो उससे अतिरिक्त फीस के रूप में 100 रूपये उदग्रहित किया जायेगा । जुन 2003 में बिहार सरकार ने अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक वाहन के लिए अतिरिक्त शुल्क की दर को संशोधित कर 5,000 रूपये कर दिया था । अधिसूचना में यह भी विहित था कि विशेष निबंधन संख्या के लिए अतिरिक्त फीस की राशि 5,000 रूपये और 25,000 रूपये के बीच होगा । फरवरी और मार्च 2006 के बीच जिला परिवहन कार्यालय भभूआ एवं सीवान मे पाया गया कि 13 जून 2003 से प्रभावी संशोधित दर के बदले 147 वाहनों के लिए अतिरिक्त निबंधन फीस या तो वसूल नही किये गये अथवा पूर्व संशोधित दर पर किए गए इसके फलस्वरूप जून 2003 एवं अप्रैल 2005 के बीच के अवधि के लिए अतिरिक्त निबंधन शुल्क 7.46 लाख रूपये की वसूली

	कम/ नहीं की गई । इसे बतलाये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी, भभुआ ने मार्च 2006 में कहा कि दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा था । जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी सीवान ने फरवरी 2006 में कहा कि बकाये की वसूली हेतु वाहन मालिकों को सूचना दी जाएगी । वसूली से संबंधित प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)
कंडिका 4.6	**आपत्ति विवरणी**
	<u>टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन</u> बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो वाहनों के लिए विहित करका भुगतान करता है को करारोपण अधिकारी इसके लिए प्राप्ति रसीद एवं टैक्स टोकन उपलब्ध कराएगा । कर प्राप्ति रसीद एवं टैक्स टोकन निर्गत करने से पहले करारोपण अधिकारी खुद को संतुष्ट करेगा कि कर के भुगतित राशि अधिनियम के अनुसूची I एवं II में विनिर्दिष्ट दर पर भुगतेय राशि के बराबर है । वर्ष या तिमाही के प्रारंभ के 15 दिनों के अंदर कर का भुगतान में विफलता अर्थदण्ड के आरोपणको आकर्षित करता है । जनवरी और फरवरी 2006 के बीच **तीन छपरा, गोपालगंज एवं सीवान जिला परिवहन कार्यालय** में यह पाया गया कि 22 परिवहन वाहन के मालिकों ने सही दर जो 4,790 रूपये एवं 11,000 रूपये के बीच था के बदले 2,035 एवं 9,690 रूपये के बीच कर को जमा किया था जिसके फलस्वरूप 5.89 लाख रूपये का कम कर वसूल हुआ ।यद्यपि इस मामले में कर का भुगतान विनिर्दिष्ट दरों से कम पर हुआ था, जिला परिवहन कार्यालयों ने शेष कर वसूल किए बगैर अनियमित रूप से टैक्स टोकन निर्गत किए थे । इसके फलस्वरूप 3.09 लाख रूपये के कर की कम वसूली तथा वास्तविक कर के भुगतान किए बगैर वाहन का पथ पर चलना जारी था ।इसके अतिरिक्त चूककर्त्ता द्वारा शेष कर का भुगतान करने में विफल होने से अर्थदण्ड के रूप में 2.80 लाख रूपये उद्ग्रहण योग्य था । इसे बतलाये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों की स्वीकार करते हुए जनवरी एवं फरवरी 2006 में कहा कि मांग पत्र निर्गत किया जाएगा ।आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006)मामले सरकार को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किए गए उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006)

वर्ष 2006-2007 के लोक लेखा समिति के अनुपालन की स्थिति

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.2	**योग्यता प्रमाण पत्र का अनियमित निर्गमन** केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अन्तर्गत किसी भी परिवहन वाहन को योग्यता प्रामण पत्र तब तक निर्गत नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वाहन मालिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कर का भुगतान का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते हैं । माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र लेने हेतु टैक्स टोकन, जो कि कर भुगतान का एक साक्ष्य है, प्रस्तुत करना अपेक्षित है । पुनः राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा 1994 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को उन परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान/नवीकरण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनके विरूद्ध कर का भुगतान नहीं किया गया है । अगस्त 2006 मार्च 2007 के बीच **आठ जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बाँका, बेगुसराय, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं सहरसा** के कराधान पंजियों के साथ योग्यता प्रमाण पत्र पंजियों में दर्ज प्रविष्टों के तिर्यक जांच के दौरान यह पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर 95 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रामण पत्र निर्गत कियो गये थे । इस चूक के कारण न केवल राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश की अवहेलना हुई, बल्कि जुलाई 2002 एवं जुलाई 2006 के बीच की अवधि से संबंधित अर्थदण्ड सहित 2.74 करोड़ रूपये के कर की वसूली भी नहीं हुई । मामले इंगित किये जाने के बाद **बाँका, बेगुसराय, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर एवं मुजफ्फरपुर जिला परिवहन पदाधिकारियों** ने अगस्त 2006 एवं मार्च 2007 के बीच कहा कि मामले को मोटर वाहन निरीक्षकों को अनुपालन हेतु संदर्भित किया जायेगा । **जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा** ने मार्च 2007 में कहा कि मामले का जाँच की जायेगी तथा तदनुरूप कार्रवाई की जायेगी, जबकि **जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना** ने जनवरी 2007 में बताया कि मांग पत्र निर्गत किये जायेगें । आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं, (नवम्बर 2007) । मामले सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007) ।

कंडिका	आपत्ति विवरण
4.4	**अभ्यर्पण में अन्तर्ग्रस्त वाहनों से कर वसूली नहीं किया जाना** बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जब कोई मोटर वाहन मालिक किसी अवधि, जो एक समय में छः महीने से अधिक की हो, अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने के अवधि के लिए कर भुगतान से सक्षम पदाधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि, छूट का दावा निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रामण पत्र, अैक्स टोकन इत्यादि जैसे आवश्यक प्रलेखों को अभ्यर्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समिर्पत हो । उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, के लिये वाहन मालिक को समय-समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा । करारोपण पदाधिकारी को महीने में कम से कम एक बार वाहन के पार्किंग स्थल का औचक रूप से भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण मेमो को दर्ज करना है । वचन पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग किया जा रहा है अथवा वाहन को वचन पत्र में दर्शाये गये स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत यह माना जायेगा कि उक्त अवधि में कर का भुगतान किये बगैर वाहन का उपयोग किया गया है ।

क्रम सं.	जिला परिवहन कार्या0 का नाम	वाहनों की संख्या	सन्निहित कर की अवधि	अनियमितताएँ	कर प्रभाव
1	नालंदा	06	1 फरवरी 2003 से 31 मार्च 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 28 एवं 39 महीनों के बीच की अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी ।	6.31
2	मुजफ्फरपुर	13	4 नवम्बर 2004 से 30 जून 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 16 एवं 20 महीनों के बीच की अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी । पुनः 13 वाहनों में से एक मामले मे अरम्भिक अभ्यर्पण दर्ज करने के समय योग्यता प्रामण पत्र अभ्यर्पित नहीं किया गया था ।	4.47

3	मोतिहारी	04	1 दिसम्बर 2004 से 30 जून 2006	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 13 एवं 18 महीनों के बीच की अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी । पुन: चार वाहनों में से एक वाहन का अभ्यर्पण निबंधन प्रामण पत्र के फोटो कॉपी के आधार पर अनियमित रूप से स्वीकार किया गया था ।	1.83
कुल		23			14.61

कंडिका 4.4	मामले इंगित किये जाने के बाद मोतिहारी, मुजफ्फरपुर जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के बीच बतलाया कि अभ्यर्पण को रद्द करने संबंधी सूचनापत्र वाहन मालिकों को निर्गत कर दिया जायेगा । जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा ने मई 2007 में कहा कि कर वसूली हेतु मांग पत्र पहले ही निर्गत कर दिया गया है । हालांकि यह उत्तर आगे के अवधि के लिये वाहन मालिकों से नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के अनियमित विस्तार एवं उचित कागजात के बगैर / कागजातों के फोटोकॉपी पर अभ्यर्पण देने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है । आगे उत्तर प्रतिवेदित नहीं कियो गये है (नवम्बर 2007) । मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007) ।
कंडिका	
4.5	**<u>मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नही/कम किया जाना</u>** बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विनिर्माता अथवा व्यवसायी को उसके व्यवसाय के क्रम में अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर एक विनिर्माता/व्यवसायी के रूप में विहित वार्षिक दर पर कर का भुगतान करना है । देय तिथि के अन्दर कर का भुगतान नहीं करने कि स्थिति में देय कर का 25 प्रतिशत एवं 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड अरोप्य है। **बेगुसराय एवं मुंगेर जिला परिवहन कार्यालयों** के अभिलेखों की अक्टूबर 2006 के बीच किये गये संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि मोटर वाहनों के 12 व्यवसायियों ने वर्ष 2002-2003 एवं 2005-2006 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 9,360 दोपहिया एवं 151 तीन/चार पहिया वालल गाड़ियों हेतु या तो विहित दर पर कर का भुगतान नहीं किया था या कम कर का भुगतान किया था । जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी दोषी व्यवसायियों पर मांग पत्र सृजित नहीं किया । इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 12.46 लाख रूपये के व्यापार कर वसूली नही / कम हुई । मामले इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी बेगूसराय ने दिसम्बर 2006 में बतलाया कि व्यवसायियों से चालान प्राप्त कर इसकी जांच की जाएगी । जिला परिवहन पदाधिकारी मुंगेर ने अक्टूबर 2006 में कहा कि मांग पत्र निर्गत किया जायगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007) । मामले सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किय गए थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007) ।

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.6	**<u>टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन</u>** बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो विहित कर का भुगतान करता है, को करारोपण पदाधिकारी इसके लिए विहित प्रपत्र में रसीद एवं टैक्स टोकन उपलब्ध करायेगा । पुन: करारोपण पदाधिकारी किसी मोटर वाहन से संबंधित वर्तमान अवधि का कर अथवा अर्थदण्ड, यदि कोई हो, तब तक स्वीकार एवं टैक्स टोकन निर्गत नही करेगा जब तक कि कर एवं देय अर्थदण्ड के बकाये का पूर्णरूपेण भुगतान / निपटारा न कर लिया गया हो । **जिला परिवहन पदाधिकारी शेखपुरा** के कराधान पंजी के फरवरी 2007 में नमूना जॉच के दौरान यह पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने जून 2002 से अक्टूबर 2006 के आवधि से संबंधित बकाए कर एवं अर्थदण्ड वसूल किए बगैर वर्तमान अवधि हेतु कर प्राप्त कर 19 परिवहन वाहनों को टैक्स टोकन निर्गत कर दिया। चूंकि किसी भी वाहन हेतु मूल कागजातों के अभ्यर्पण के पश्चात् कर के भुगतान में छूट का दावा नहीं किया गया था, बकाए की वसूली किये बगैर वर्तमान कर की वसूली कर टैक्स टोकन निर्गत किया जाना अधिनियम का उल्लंघन था तथा इसके परिणामस्वरूप 5.32 लाख रूपये के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई । मामला इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने फरवरी 2007 में बतलाया कि वाहन मालिकों को मांग पत्र निर्गत किया जायेगा । आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007) । मामला सरकार को वर्ष 2007 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं (नवम्बर 2007) ।

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.7	**<u>स्पेशल एग्रीमेन्ट कार्ड का अनियमित निर्गमन</u>** बिहार मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटरवाहन अधिनिमय 1988 के अन्तर्गत परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने अक्टूबर 2003 में स्पेशल एग्रीमेन्ट कार्ड योजना, जिसे गोल्डन कार्ड के नाम से जाना जाता है, की शुरूआत की । ये प्रीपेड कार्ड, मालवाहकों के भार क्षमता पर आधारित भिन्न-भिन्न मूल्यों, जिसमें अधिक मालों के माप एवं मालों को उतारने तथा इसके भंडारण इत्यादि पर शुल्क भी सम्मिलित है, के थे । योजना एवं राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार उपरोक्त कार्ड अहस्तांतरणीय तथा बिहार में निबंधित वाहनों, जिनके पास वैध निबंधन प्रामण पत्र, योग्यता प्रामण पत्र गीमा, परमिट तथा टैक्स टोकन थे एवंअन्य राज्यों में निबंधित वैसे वाहन जिन्हें निम्नतम 28 दिन का राज्य में परिचालन हेतु अस्थायी परमिट प्राप्त थे, एक कैलेन्डर माह हेतु जारी करना था । मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा जिला परिवहन कार्यालयों के सपेशल एग्रीमेन्ट कार्ड से संबंधित अभिलेखों की दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के बीच नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान, योग्यता प्रामण पत्र, बीमा तथा वैध परमिट सुनिश्चित किये बगैर 2.31 करोड़ रूपये मूल्य के विभिन्न श्रंखलाओं के 8,573 कार्ड, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा अक्टूबर 2003 से नवम्बर 2006 की अवधि के दौरान निर्गत किये गये थे । स्पेशल एग्रीमेन्ट कार्ड, किन वाहनों को निर्गत किये गये थे का विवरण दर्शाने हेतु कोई अभिलेख संधारित नहीं था । इस प्रकार स्पेशल एग्रीमेन्ट कार्ड के उपयोग हेतु निर्धारित शर्तो की अवहेलना करते हुए 2.31 करोड़ रूपये मूल्य के 8,573 स्पेशल एग्रीमेन्ट कार्ड का परिवाहकों द्वारा विभिन्न वाहनों हेतु उपयोग के लिए, अनियमित निर्गमन किया गया था, जो सरकारी राजस्व के क्षरण को प्रश्रय देता है । मामले इंगित किये जाने के बाद मोतिहारी एवं सहरसा जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दिसम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के बीच बतलाया कि मामले को पूर्ववर्ती जिला परिवहन पदाधिकारियों को संदर्भित किया जाएगा, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने मार्च 2007 में कहा कि मामले कर जाँच नियमों एवं विनियमों के प्रावधान के संदर्भ में की जाएगी । जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोतिहारी एवं सहरसा के उत्तर मान्य नहीं है । क्योंकि पदस्थ जिला परिवहन पदाधिकारी अभिलेखों की जाँच, कार्रवाई तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों के समुचित उत्तर देने हेतु सक्षम प्राधिकार थे । आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007) । मामले सरकार को मई एवं जून 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007) ।

वर्ष 2007–2008 के लोक लेखा समिति के अनुपालन की स्थिति

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.4	**योग्यता प्रमाण पत्र का अनियमित निर्गमन** केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अन्तर्गत किसी भी वाहन को योग्यता प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है जब तक कि वाहन मालिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कर का भुगतान का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते है । पटना उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र लेने हेतु टैक्स टोकन, जो कि कर भुगतान का एक लक्ष्य है, प्रस्तुत करना अपेक्षित है । पुनः राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा अप्रैल 1994 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को उन परिवहन वाहनें को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान/नवीकरण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध कर का भुगतान नहीं किया गया है । जुलाई 2007 एवं मार्च 2008 के बीच **आरा, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं सीतामढ़ी** के जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजियों के साथ योग्यता प्रमाण पत्र पंजियों में दर्ज प्रवष्टियों के तिर्यक जांच के दौरान यह पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर 71 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था । इस चूक के कारण न केवल नियमों तथा राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आदेश की अवहेलना हुई, बल्कि जुलाई 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि से संबंधित अर्थदण्ड सहित 1.97 करोड़ रूपये के कर की वसूली भी नहीं हुई । मामले इंगित किये जाने के बाद आरा, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं सीतामढ़ी के जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जुलाई 2007 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि मामले को अनुपालन हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों को संदर्भित किया जायेगा । जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर एवं दरभंगा ने सितम्बर 2007 एवं जनवरी 2008 के बीच कहा कि मामले की जांच की जायेगी, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने दिसम्बर 2007 में कहा कि मांग पत्र निर्गत किये जायेगें । आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2008) । मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2008) ।

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.5	**<u>अभ्यर्पण में अर्न्तग्रस्त वाहनों से कर वसूली नहीं किया जाना</u>** बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जब कोई मोटर वाहन मालिक एक बार में छः महीने से कम अवधि के लिए अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है तब उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने की अवधि के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा कर से भुगतान हेतु छूट प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि छूट का दावा निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन इत्यादि जैसे आवश्यक प्रलेखों को अभ्यर्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो । उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, के लिए वाहन मालिक को समय-समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा । करारोपण पदाधिकारी को महीने में कम से कम एक बार वाहन के पार्किंग स्थल का औचक रूप मे भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण मेमो को दर्ज करना है । वचन पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग किया गया है अथवा वाहन को वचन पत्र में दर्शाये गये स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत यह माना जायेगा कि उक्त सम्पूर्ण अवधि में कर का भुगतान किये बगैर वाहन का उपयोग किया गया है । अगर कर के भुगतान में 90 दिनों से अधिक का विलम्ब हो तो देय कर की राशि में दुगुनी दर पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा । जुलाई एवं सितम्बर 2007 के बीच पटना, पूर्णियाँ एवं भागलपुर के जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नूना जांच के दौरान / अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य अभिलेखों से यह पता चला कि सितम्बर 2003 एवं अगस्त 2005 के बीच अभ्यर्पित 31 वाहनों को 19 से 39 महीनों तक के लिए अवधि के विस्तार की अनियमित अनुमति दी गई थी। इसके फलस्वरूप मार्च 2004 एवं जून 2007 तक की अवधि हेतु अर्थदण्ड सहित 47.48 लाख रूपये के कर, जो वसूलनीय थी, की वसूली नहीं की गई थी । इसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम वाहनों की संख्या	कर गणना की अवधि	अनियमितताएं	कर प्रभाव
1	पटना 13	61 अप्रैल 2004 से 30 जून 2007	आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 19 एवं 39 महीनों के बीच अवधि विस्तार की अनुमति दी गयी थी । पुनः इन 13 वाहनों में से एक मामले में आरम्भिक अभर्पण निबंधन प्रमाण पत्र एवं योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के आधार पर अनियमित रूप से स्वीकार किया गया था ।	17.02
क्रम सं.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम वाहनों की संख्या	कर गणना की अवधि	अनियमितताएं	कर प्रभाव
2.	पूर्णियां 10	01 जनवरी 2005 से 30 जून 2007	आरम्भिक अभयर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्रापत किये बगैर 19 एवं 30 महीनों के बीच की अवधि विस्तार की अनुमति दी गयी थी । पुनः इन 10 वाहनों में 6 मामलों में निबंधन प्रामण पत्र की छायाप्रति के आधार पर आरम्भिक अभयर्पण अनियमित रूप से स्वीकार किया गया था तथा एक मामले में अभयर्पण की तिथि तक देय कर की वसूली किये बिना ही अभयर्पण स्वीकार कर लिया गया था ।	16.17
3.	भागलपुर 8	04 मार्च 2004 से 30 जून 277	आरम्भिक अभयर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्रापत किये बगैर 19 एवं 30 महीनों के बीच की अवधि विस्तार की अनुमति दी गयी थी । पुनः इन आठ वाहनों में से एक मामले में आरम्भिक अभयर्पण करने के समय निबंधन प्रामण पत्र अभ्यर्पित नहीं किया गया था ।	14.29
कुल	31			47.48

ममले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जुलाई एवं सितम्बर 2007 के बीच कहा कि मांच पत्र निर्गत किया जाएगा एवं तदनुसार कार्रवई की जाएगी ।
हालाँकि यह उत्तर आगे की अवधि के लिए वाहन मालिकों से नये वचन पत्र प्रापत किये बगैर आरम्भिक अभ्यर्पण की अनुमति देने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है आगे का प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नही हुए हैं (अक्टूबर 2008) ।

मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2008)

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.6	**<u>मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना:-</u>** बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विनिर्माता अथवा व्यवसायी को उसके व्यवसाय के क्रम में अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर एक व्यवसायी के रूप में विहित वार्षिक दर पर कर का भुगतान करना है । देय तिथि के अन्दर कर का भुगतान नहीं करने की स्थिति में देय कर का 25 एवं 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोप्य है । पुन: राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को कर की वसूली एवं व्यापार प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु वैध कार्रवाई शुरू करने हेतु अनुदेशित किया (मई 2001) । जनवरी 2007 एवं फरवरी 2008 के बीच **आरा, अररिया, बक्सर, लखीसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं सहरसा** के जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि मोटर वाहनों के 85 व्यवसायियों ने वर्ष 2002-03 एवं 2006-07 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 35,293 वाहनें (28,989 दोपहिया एवं 6,395 तिन/चार पहिया वाहल गाड़ीयों) हेतु या तो विहित दर पर कर का भुगतान नहीं किया गया या कम कर का भुगतान किया था । जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी दोषी व्यवसायियों पर कोई कार्रवाई नहीं की । इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 29.80 लाख रूपये के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई । मामले इंगित किये जाने पर सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी 2007 एवं फरवरी 2008 के बीच कहा कि मांग पत्र निर्गत किया जायेगा । आगे की प्रति पर प्रतिवेदन प्रापत नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2088)। मामले सरकार को अगस्त 2007 एवं मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (अक्अूबर 2008) ।

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.7	**<u>द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र के अनियमित निर्गमन/स्वामित्व के हस्तांतरण के कारण कर की वसूली नहीं किया जाना</u>** समय-समय पर निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक अनुदेशों, जिसमें अद्यतन सितम्बर 1996 में जारी किया गया है, के अनुसार कर के चोरी को रोकने हेतु एक परिवहन वाहन के सबंध में विहित फीस तथा अद्यतन कर एवं व्यक्तिगत वाहन के मामले में एकमुश्त कर का भुगतान किये जाने के बाद ही संबंधित निबंध प्राधिकारी द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण, द्वितीयक निबंधन प्रामण पत्र निर्गत, मोटर वाहन के गिरवी को मंजूर / समाप्त किया जाना है । अक्टूबर एवं दिसम्बर 2007 के बीच जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर तथा पटना के निबंधन पंजी एवं कराधान पंजी के निर्यक जांच के दौरान यह पाया गया कि आठ परिवहन वाहनों के मामले में कर का अद्यतन भुगतान सुनिशचित किये बगैर स्वामित्व का हस्तांतरण, द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र इत्यादि की अनुमति दी गई / निर्गत की गई थी । इस चूक से न केवल राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश का उल्लंघन हुआ वल्कि सितम्बर 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि के लिए अर्थदण्ड सहित 24.86 लाख रूपये के कर की वसूली भी नहीं हुई। मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अक्टूबर एवं दिसम्बर 2007 के बीच कहा कि मांग पत्र निर्गत किया जायेगा । आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2008) । मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2008) ।

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.8	**<u>अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं/कम किया जाना</u>** बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के अनुसार अगर कोई वाहन मालिक अनुक्रम से हटकर एक विशेष निबंधन संख्या के लिए आवेदन करता है तब 100 रूपये का अतिरिक्त फीस आरोपित किया जाएगा । बिहार सरकार ने जून 2003 में एक अधिसूचना के द्वारा अतिरिक्त फीस की दर को प्रत्येक मामले में 5,000 रूपये पुनरीक्षित कर दिया । यह अधिसूचना उसमें विनिर्दिष्ट विशेष निबंधन संख्या के लिए 5,000 रूपये से 25,000 रूपये तक का अतिरिक्त फीस भी निर्धारित करता है । मई 2006 तथा फरवरी 2008 के बीच **आरा, अररिया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा तथा शिवहर** के जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि जून 2003 और नवम्बर 2006 के बीच निबंधित 101 वाहनों हेतु अतिरिक्त निबंधन फीस या तो वसूल नहीं की गई थी अथवा इसकी वसूली पुनरीक्षण से पूर्व की दर पर की गई थी । इसके फलस्वरूप 5.24 लाख रूपये के अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नही / कम हुई । मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मई 2006 तथा फरवरी 2008 के बीच कहा कि बकाये की वसूली हेतु वाहन मालिकों को मांग पत्र निर्गत किया जाएगा । आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2008) । मामले सरकार को अप्रैल तथा मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गए थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2008) ।

वर्ष 2008-2009 के लोक लेखा समिति के अनुपालन की स्थिति

कंडिका | **आपत्ति विवरणी**

4.2.6 | **राजस्व की प्रवृति**

बिहार गजट प्रक्रिया में प्रावधान है कि राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वर्ष के अंदर वसूली जाने वाली अनुमानित राशि दर्शायी जाए । राजस्व का आकलन करते समय विगत वर्षो के बकायों और वर्ष दौरान उनकी वसूली की संभावना सहित वास्तविक माँग के आधार पर गणना की जानी चाहिए । नियंत्रण पदाधिकारी को संबंधित क्षेत्र पदाधिकारियों से प्राप्त बजट प्रस्तावों की जाँच कर इसे वित्त विभाग को देना है ।

बिहार कोषागार संहिता के साथ पठित बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रण पदाधिकारी को समय पर वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों और विभागीय आँकड़ों के बीच मिलान को सुनिश्चित करना है । विगत पाँच वर्षो के बजट अनुमानों एवं वास्तविक संग्रहण, जो विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है और जो वित्त लेखे में दर्शाए गए हैं, निम्न तालिका में संसूचित किए गए है।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	राजस्व संग्रह		विभागीय आँकड़ों एवं (वित्त लेखे) की प्राप्तियों में विभिन्नता (4-3)	बजट अनुमान एवं प्राप्तियों(वित्त लेखे) में विभिन्नता (प्रतिशत) (2-3)
		वित्त लेखे के अनुसार	विभाग के अनुसार		
1	2	3	4	5	6
2003-04	275.00	209.50	217.81	8.31	(-)65.50(23.8)
2004-05	250.00	212.78	257.21	44.43	(-)37.22(14.9)
2005-06	310.00	302.44	308.47	6.03	(-)7.56(2.4)
2006-07	350.00	181.38	202.14	20.76	(-)168.62(48.2)
2007-08	375.00	273.21	245.86	27.35	(-)101.79(27.1)

इस प्रकार, वर्ष 2003-08 के दौरान राजस्व का संग्रहण, बजट आकलन की अपेक्षा 14.09 प्रतिशत से 48.2 प्रतिशत तक निम्नतर था, सिवाय वर्ष 2005-06 के, जहाँ भिन्नता मामूली (2.4 प्रतिशत) थी । वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान भारी गिरावट का मुख्य कारण परिवहन वाहनों पर पथ-कर की घटी दरें थीं । इसके अतिरिक्त, वित्त लेखे में दर्शाए गए प्राप्तियों और विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को दिये गए आँकड़ों में 52.18 करोड़ रूपये का अंतर था। यह संसूचित करता है कि वर्तमान नियमों के तहत अपेक्षित आँकड़ों का समय पर मिलान नहीं किया गया था, जो त्रुटिपर्ण लेखांकन और प्रतिवेदन तंत्र की ओर भी इंगित करता है ।

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.2.7	**माँग का सृजन एवं राजस्व संग्रहण**
	बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी वाहनों सहित मोटर वाहनों पर कर का भुगतान प्रत्येक तिमाही के शुरू होने से 15 दिनों के भीतर संबंधित निबंधन प्राधिकारी को किया जाना है । हालाँकि, यदि निबंधन प्राधिकारी संतुष्ट हों कि वाहन मालिक द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई हैं, तो वे वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकते हैं । पुन: विभाग ने मई 2005 में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को एक अनुदेश जारी किया कि जिन ट्रेलरों के मालिकों ने परिवहन वाहनों के रूप में ट्रेलरों का निबंधन कराया है, वे अपने वाहनों को पूर्ण रूप से कृषि प्रायोजन हेतु निबंधन का विकल्प दे सकते हैं और वे एक मुश्त कर का भुगतान कर सकते हैं । नोटिस के बावजूद कर का भुगतान नहीं करने के मामले में मार्च 1999 ओर जनवरी 2001 के बीच निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ की जानी है । 90 दिनों के बाद भी कर का भुगतान नहीं किए जाने पर देय कर की दोगुनी राशि अर्थदण्ड के रूप में लगाया जाना है । **लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजियों की आवधिक समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया है और माँग पत्र निर्गत करने के लिए भी कोई समय-सीमा विहित नहीं किया गया है ।**
	35 जिला परिवहन कार्यालयों यथा- **बेगूसराय, भभूआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेतिया, बक्सर, गोपालगंज, जमूई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मोतिहारी, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल एवं वैशाली** में पाया गया कि 3,057 परिवहन वाहनों (64 सरकारी वाहनों एवं 1,661 ट्रेलरों सहित) के मालिकों ने जनवरी 1999 एवं दिसम्बर 2007 के बीच की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं किया था । कराधान पंजियों की आवधिक समीक्षा के अभाव में जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका और माँग का सृजन नहीं कर सके । इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2003 से जून 2008 तक की अवधि के लिए संगणित अर्थदण्ड सहित 40.93 करोड़ रूपये के कर की वसूली नहीं हुई । **सरकार, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आवधिक अंतरालों पर कराधान पंजियों की समीक्षा हेतु एक प्रणाली तथा कर के भुगतान में चूक के मामले में माँग पत्र निर्गत करने हेतु निश्चित समय-सीमा विहित करने पर, विचार कर सकती है ।**

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.2.8	**मोटर वाहन निरीक्षकों की कार्य प्रणाली**
	बिहार मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने/ नवीकरण हेतु परिवहन वाहनों की जाँच करते समय मोटर वाहन निरीक्षक 'मोटर वाहन निरीक्षण पर्ची' फॉर्म भरेंगे और निरीक्षित वाहन की चेसिस संख्या का स्पष्ट पेंसिल-छाप 'मोटर वाहन निरीक्षण पर्ची' पर लेंगे । पुनः राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा अप्रैल 1994 में निर्गत कार्यपालक अनुदेश के अनुसार, मोटर वाहन निरीक्षकों को उन परिवहन वाहनों को योग्यता प्रामण-पत्र प्रदान/नवीरकरण करने से मना कर दिया गया है, जिनके लिए करों का भुगतान नहीं किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्णय के अनुसार चूँकि टैक्स टोकन, कर-भुगतान करने का एक साक्ष्य है, योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा अपने उच्च प्राधिकारियों को दिये जाने के लिए कोई रिटर्न/प्रतिवेदन निर्धारित नहीं किया है, जिसके आधार पर वे मोटर वाहन निरीक्षकों के कार्य निष्पादन का अनुश्रवण और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें । मोटर वाहन निरीक्षकों के कार्य प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गयी ।

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.2.8.1	**परिवहन वाहनों का योग्यता प्रमाण-पत्र निर्गत/नवीकृत किया जाना**
	<u>चार जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ</u> में परिवहन वाहनों के योग्यता प्रमाण-पत्र पंजियों एवं अन्य तत्संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि 9,591 परिवहन वाहनों के मामले में मालिकों ने वर्ष 2007-08 के दौरान अपने परिवहन वाहनों के योग्यता प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन दिया था । इन मामलों में वाहनों के अभिलेखों के साथ 'मोटर वाहन निरीक्षण पर्चियों' के अभाव में वाहनों की चेसिस संख्या का पेंसिल-छाप, मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा लिए जाने तथा योग्यता प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पूर्व वाहनों की पथ पात्रता संबंधी उचित जाँच सुनिश्चित नहीं की जा सकी । यह अत्यंत अनियमित थी क्योंकि बगैर उचित निरीक्षण के इन वाहनों का परिचालन, लोगों के जान-माल को क्षति पहुँचाने के जोखिम से भरा था।
4.2.8.2	**परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण-पत्र का अनियमित निर्गमन**
	<u>आठ जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, बक्सर एवं वैशाली</u> में कराधान पंजियों के साथ परिवहन वाहनों के योग्यता प्रमाण-पत्र पंजियों की तिर्यक जाँच से यह संसूचित हुआ कि 178 परिवहन वाहनों को कर के अद्यतन भुगतान को सुनिश्चित किए बगैर योग्यता प्रमाण-पत्र निर्गत किए गए थे । इस चूक के कारण ने केवल नियमों एवे राज्य परिवहन आयुक्त के आदेशों का उल्लंघन हुआ, बल्कि जुलाई 2003 एवं जून 2008 के बीच की अविध से संबंधित अर्थदण्ड सहित 6.75 करोड़ रूपये के कर की वसूली भी नहीं हुई ।

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.2.8.3	**अभ्यर्पित वाहनों का परिचालन**
	<u>जिला परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर</u> में परिवहन वाहनों के योग्यता प्रमाण-पत्र/ अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य अभिलखों से यह पता चला कि अप्रैल 2007 से मार्च 2008 के दौरान 18 वाहनों को मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ, जबिक इन वाहनों को अभ्यर्पण पंजी में अभ्यर्पित दर्शाया गया था । इस तरह, यह स्पष्ट था कि इन मामलों में मोटर वाहन निरीक्षक ने अद्यतन कर भुगतान सुनिश्चित नहीं किया था । इसके अलावे, इन वाहनों को जारी योग्यता प्रमाण-पत्र यह सत्यापित करता है कि वाहनों को मोटर वाहन निरीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार वचन-पत्र में दर्शाए गए पार्किंग स्थल से वाहनों को हटाया गया था । अत: वाहन मालिक 82.17 लाख रूपये के कर एवं अर्थदण्ड के देनदार थे । उन वाहनों के अभिलेखों को जिनमें अभ्यर्पित निबंधन प्रमाण-पत्र एवं टैक्स-टोकन इत्यादि रखे गए थे, लगातार स्मारित किए जाने किए जाने के बावजूद लेखापरीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4.2.8.4	**गैर–परिवहन वाहन को परिवहन वाहन के रूप में परिचालन का प्राधिकार**
	केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषि संबंधी ट्रैक्टर–ट्रेलर गैर– परिवहन वाहन होते हैं, जिनका निबंधन 3,000 रूपये अथवा 5,000 रूपये, जैसा मामला हो, एक मुश्त कर का भुगतान करने के बाद किया जाता है । **<u>जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय एवं पूर्णिया</u>** के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मोटर वाहन निरीक्षकों ने अनियमित रूप से 77 ट्रैक्टर–ट्रेलरों को योग्यता प्रमाण–पत्र निर्गत किया था जो कृषि संबंधी ट्रैक्टर–ट्रेलर के रूप में एक मुश्त कर का भुगतान करने पर निबंधित किए गए थे । परिवहन वाहनों पर लागू योग्यता प्रमाण–पत्र, कृषि ट्रैक्टर–ट्रेलरों को वार्षिक कर के भुगतान के बगैर जारी किया जाना, न केवल अनियमित था बल्कि परिवहन वाहनों पर लागू वार्षिक कर के भुगतान के बगैर इन वाहनों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अवैध रूप से उपयोग में लाने के जोखिम से भी भरा थ । कर का भुगतान नहीं किया गया था और मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा योग्यता प्रमाण–पत्र जारी करने से पहले इसका सत्यापन भी नहीं किया गया था । **सरकार, मोटर वाहन निरीक्षकों के कार्य प्रमाणी का अनुश्रवण हेतु एक प्रणाली विकसित करने पर, विचार कर सकती है । ऐसे वाहनों के अवैध वाणिज्यिक उपयोग का पता लगाने के लिए प्रवर्तन–स्कंध (इनफोर्समेंट विंग) द्वारा लगातार जाँच करायी जानी चाहिए ।**
4.2.9	**कर– छूट प्रदान करने की प्रणाली**
	बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, जहाँ करारोपण पदाधिकारी मोटर वाहन के मालिक के आवेदन–पत्र के साथ लगे वचन–पत्र की जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि मोटर वाहन एक कैलेंडर माह से अधिक अवधि तक लगातार उपयोग में नहीं रहा है, तो वह कर के भुगतान से छूट तथा कर के बकाये राशि को, अधिकतम 4,000 रूपये तक, बट्टे खाते में डाल कर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार को सूचित कर सकता है और जहां बकाये की राशि 4,000 रूपये से अधिक है, तब वह इस मामले को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी के पास निर्णय के लिए भेज सकता है । लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि ऐसे मामलों के निपटान और प्रेषण के लिए कोई समय–सीमा विहित नहीं की गई जिसके फलस्वरूप राजस्व अवरूद्ध रहा जिसकी चर्चा नीचे की गई है ।

कंडिका	आपत्ति विवरणी
4.2.9.1	**<u>नौ जिला परिवहन कार्यालय यथा- भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, पटना, गोपालगंज, समस्तीपुर, सिवान</u>** में यह देखा गया कि 69 वाहनों के अभ्यर्पण हेतु कर के भुगतान से छूट के मामलों को दिसम्बर 2002 एवं नवम्बर 2006 के बीच राज्य परिवहन आयुक्त/ उच्च प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर उच्च प्राधिकारियों के पास अग्रसारित किया गया था । इन मामलों में अंतर्निहित 40.40 लाख रूपये के राजस्व जनवरी 2010 तक निर्णय के लिए लंबित थे । मामले को इंगित किए जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2009) कि 44 मामले निपटाए गए हैं । हालाँकि, संवीक्षा से पता चला कि 69 मामलों में से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सिर्फ तीन मामले इनमें शामिल थे, जिनमें एक मामले में मात्र 35,803 रूपये की वसूली की गई और दो अन्य मामलों में 40.40 लाख रूपये में से 27,197 रूपये की छूट दी गई है । आगे शेष मामलों में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2010) ।
4.2.9.2	**<u>जिला परिवहन कार्यालय, गया</u>** में यह पाया गया कि 67 वाहनों को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सितम्बर 2002 एवं सितम्बर 2005 के बीच उनके अभ्यर्पण की स्वीकृति के बाद छोड़ दिया गया था । यद्यपि इन मामलों में अंतर्निहित 8.96 लाख रूपये की छूट प्राप्त करने के लिए उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति-वांछित थी, परन्तु जिला परिवहन पदाधिकारी ने छूट देने के लिए इन मामलों को सक्षम प्राधिकारियों के पास नहीं भेजा । अभ्यर्पण अवधि समाप्त हो जाने के बाद वाहनों को छोड़ भी दिया गया था। कर-छूट को अनियमित रूप से प्रदान करना जोखिम भरा है तथा उच्च पदाधिकारियों की शक्ति को हड़पने जैसा है । **सरकार, मामले को अग्रसारित करने और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा छूट देने के लिए एक निश्चित समय-सीमा विहित करने पर, विचार कर सकती है ।**
4.2.10	**माल वाहक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार**
	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-81 के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी अथवा विशेष परमिट के अलावे कोई भी परमिट पाँच वर्षों की अवधि अथवा वाहन की आयु अधिकतम पंद्रह वर्ष, जो पहले हो, के लिए निर्गत किया जाएगा । राष्ट्रीय परमिट योजना के प्रावधानों के अनुसार वाहन मालिक को एक बार में एक वर्ष के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु 500 रूपये के शुल्क के साथ निर्धारित कम्पोजिट शुल्क उस राज्य के लिए जहाँ वाहन को चलाया जाना है, भुगतान करना होगा । यदि कम्पोजिट शुल्क का भुगतान देय तिथि अर्थात् प्राधिकार के समापन से 15 दिन पहले नहीं किया जाता है, तो 100 रूपये प्रतिमाह की दर से अथवा उसके हिस्से पर अर्थदण्ड देना होगा । **लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि राष्ट्रीय परमिट धारकों द्वारा प्राधिकार एवं कम्पोजिट शुल्कों का भुगतान नहीं जिाने का पता लगाने हेतु विभाग में राष्ट्रीय परमिट पंजी की आवधिक समीक्षा की कोई प्रणाली नहीं है ।** राज्य परिवहन प्राधिकार के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 105 मामलों में राष्ट्रीय परमिट के अन्तर्गत माल वाहक वाहनों को चलाने के लिए अनुवर्ती प्राधिकार, जनवरी 2005 एवं फरवरी 2009 के बीच विभिन्न अवधियों में न तो नवीकृत की गई थी और न ही परमिटों को अभ्यर्पित किया गया था । इसके फलस्वरूप 1.05 लाख रूपये के प्राधिकार शुल्क की वसूली नहीं हुई । इसके अलावे, अन्य राज्यों से संबंधित कम्पोजिट शुल्क और निर्धारित दर पर अर्थदण्ड भी आरोप्य था ।

4.2.11	**अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट का निपटान**
	राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों से प्राप्त होने वाले कम्पोजिट शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट को विनिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना आवश्यक है । बैंक ड्राफ्ट को विनिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना आवश्यक है । बैंक ड्राफ्ट के निपटान की निगरानी एक पंजी के माध्यम से की जानी है । राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के मार्च 1996 एवं मार्च 2005 के अनुदेशों के अनुसार अप्रैल से फरवरी के दौरान प्राधिकृत बैंक में जमा की गई राशि को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाना है कि उस माह की सभी प्राप्तियाँ अगले माह के प्रथम सप्ताह तक हस्तांतरित हो जाए तथा मार्च महीने में संग्रहित राशि को 31 मार्च तक निश्चित रूप से हस्तान्तरित कर दिया जाना है ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा की गयी कुल प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी खाते में हस्तांतरित हो जाए । बैंक द्वारा सरकारी खाते में जमा राशि को हस्तांतरित करने में विफल रहने पर राज्य परिवहन आयुक्त को शेष राशि के विरूद्ध बैंक को चेक निर्गत करना है । **लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि बैंक ड्राफ्ट पंजी का संधारण उचित ढंग से नहीं किया गया था ।पंजी को आवधिक अन्तराल पर अद्यतन भी नहीं किया गया था और उच्च प्राधिकारी के पास सत्यापन एवं अनुश्रवण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया,** जिसके कारण राज्य परिवहन आयुक्त के विलम्बित प्रेषण/ बैंक ड्राफ्ट को पुनवैधीकरण नहीं किए जाने से अनभिज्ञ रह गए, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में विवर्णित है ।

4.2.11.1	**संग्रहित राजस्व का विलम्बित प्रेषण**
	16 में से तीन राजस्व संग्रह करने वाले बैंकों के बैंक विवरणियों की नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया कि बैंकों ने सरकारी खाते में जमा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को राजस्व का हस्तांतरण तीन से 724 दिनों के विलम्ब से किया था ।
4.2.11.2	**कालातीत बैंक ड्राफ्ट का पुनवैधीकरण**
	राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 1998 से मार्च 2008 की अवधि के लिए अन्य राज्यों से प्राप्त 1.76 करोड़ रूपये के 7,776 बैंक ड्राफ्ट, विभिन्न प्राधिकृत बैंकों को भेजा गया था । हालाँकि ये बैंक ड्राफ्ट बैंकों द्वारा लौटा दिये गए क्योंकि कालातीत हो गए थे । 11 वर्षो तक के लम्बे अवधियों से संबंधित ड्राफ्ट को भुनाया नहीं जाना विभाग द्वारा अज्ञात रह गया । इन सभी ड्राफ्ट को पुनः बैंक स्तर पर पुनवैधीकरण हेतु इंडियन बैंक को भेजा गया । हालाँकि, ये बैंक ड्राफ्ट पुनवैधीकरण हेतु लेखापरीक्षा की तिथि (सितम्बर 2009) तक पड़े थे, जिसके फलस्वरूप 1.76 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई । **सरकार समय पर बैंक ड्राफ्ट भुनाए जाने के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है ।**

4.2.12	**राजस्व वसूली प्रक्रिया**
	बिहार मोटर कराधान अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई कर या अर्थदण्ड जिसका भुगतान नहीं किया गया है, की वसूली बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली, अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अनुसार और भू-राजस्व के बकायों की वसूली के तरीक से की जाएगी । बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली, अधिनियम, के अनुसार माँग पदाधिकारी को नीलामवाद की कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु अपने द्वारा जारी किए गए माँग-पत्र के लिए एक पंजी IX का संधारण करना है, जबकि नीलामवाद पदाधिकारी सभी तरह से माँग-पत्रों की जाँच कर पंजी X में दर्ज करेगे । पंजी IX को, नीलामवाद पदाधिकारी के पंजी X के साथ प्रत्येक माह मिलान करना है । जून 1991 में निर्गत अनुदेश के अनुसार नीलामवाद मामलों की वार्षिक विवरणी जिला परिवहन पदाधिकारी/ माँग पदाधिकारी द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना है । **लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा नीलामवाद पदाधिकारियों को राजस्व के बकायों के मामले भेजने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं किया है । इसके अलावे पंजी IX एवं पंजी X का समय-समय पर मिलान नहीं किया जा रहा था ।** इन त्रुटियों के कारण राजस्व की बड़ी राशि की वसूली नहीं हो पाई जिसकी चर्चा नीचे की गई है ।

4.2.12.1 संग्रहण हेतु लम्बित बकाये

वर्ष 2003-04 के लिए प्रारम्भिक शेष, माँग का सृजन, संग्रहण एवं संग्रहण हेतु लम्बित राजस्व, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, का उल्लेख नीचे किया गया है:-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	आरम्भिक शेष	वृद्धि	कुल	निष्पादन	अन्त-शेष	निष्पादन का प्रतिशत
	मामलो की सं0 अंतनिर्हित राशि	मामलो की सं0 अंतनिर्हित राशि	मामलो की सं0 अंतनिर्हित राशि	मामलो की सं0 अंतनिर्हित राशि	मामलो की सं0 अंतनिर्हित राशि	मामलो की सं0 अंतनिर्हित राशि
2003-04	23,897 90.72	338 1.11	24,235 91.83	602 6.08	23,633 85.75	2.48 6.62
2004-05	23,633 85.75	886 4.41	24,519 90.16	441 0.91	24,078 89.25	1.80 1.01
2005-06	24,078 89.25	3.246 25.99	27,324 115.24	4,529 18.74	22,795 96.50	16.58 16.26
2006-07	22,795 96.50	1,160 12.92	23,955 109.42	1,072 2.63	22,883 106.79	4.48 2.40
2007-08	22,883 106.79	972 8.20	23,855 114.99	548 2.43	23,307 112.56	2.30 2.11

इस प्रकार, बकाये में 24.07 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई अर्थात् 1 अप्रैल 2003 को 90.72 करोड़ रूपये से 31 मार्च 2008 को 112.56 करोड़ रूपये हो गए । प्रमाणित मामलों के निष्पादन का प्रतिशत 1.80 एवं 16.58 के बीच रहा ।

4.2.12.2	**नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ करना**
	जब माँग पदाधिकारी नीलामवाद की कार्रवाई शुरू करने के लिए माँग-पत्र जारी करते हैं और नीलामवाद पदाधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि माँग पदाधिकारी को भुगतेय कोई लोक माँग बकाया है तो वे निर्धारित प्रपत्र में नीलाम-पत्र पर अपना हस्ताक्षर यह बताते हुए कर सकते हैं कि माँग बकाया है अेर उनके कार्यालय में नीलामवाद दायर करने योग्य है । नीलाम-पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि से वसूली की तिथि तक 12 प्रतिशत के वार्षिक दर पर ब्याज आरोप्य है । **<u>आठ जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, एवं पूर्णिया</u>** में यह देखा गया कि 1,149 दोषी वाहन मालिक के विरूद्ध 2000-2008 की अवधि के लिए 38.41 करोड़ रूपये के कर की राशि बकाये थे, परन्तु संबंधित माँग पदाधिकारियों ने राजस्व की वसूली के लिए नीलामवाद के मामले शुरू करने हेतु माँग पत्र जारी नहीं किया था । इसके अलावे, नीलाम-पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि से आरोप्य ब्याज भी छूट गया। **सरकार, नीलामवाद पदाधिकारी के पास मामलों को भेजने के लिए समय-सीमा, विहित कर सकती है ।**
4.2.12.3	**पंजी IX एवं X में विसंगतियाँ**
	<u>छः जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, एवं गया</u> के पंजी IX के साथ सुसंगत अभिलेखों यथा माँग-पत्रों की संवीक्षा से पता चला कि पंजियों को आवधिक रूप से बंद नहीं किया था । पंजियों को माँग पदाधिकारी कके पास उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत भी नहीं किया गया था । मामलों की संख्या तथा प्रारंम्भिक एवं अंत शेषों की राशियों में विसंगतियों के कारण पंजी IX से निपटाए गए नीलामवाद मामलों की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी । **सात माँग पदाधिकारियों यथा- बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा एवं गया** एवं संबंधित नीलामवाद पदाधिकारियों के मामले में देखा गया कि पंजी के IX अनुसार 31 मार्च 2008 को 6,857 मामलों में अंतर्निहित 31.39 करोड़ रूपये निष्पादन हेतु लम्बित थे । इसके विरूद्ध सिर्फ 4,682 मामलों में अंतर्निहित 19.24 करोड़ रूपये ही पंजी X में दर्ज थे । इस प्रकार, 2,175 मामलों में अंतर्निहित 12.14 करोड़ रूपये दर्ज नहीं किए गए तथा जिसके लिए नीलामवाद की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी । इससे पंजी IX की प्रविष्टियों का मिलान पंजी X के साथ नहीं किया जाना भी संसूचित करना है । मामले इंगित किए जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2009) कि जिला परिवहन पदाधिकारियों को पंजी IX का उचित ढंग से संधारण करने और पंजी X के प्रविष्टियों का इसके साथ मिलान करने का निर्देश दिये जा रहे हैं । **विभाग इन पंजियों का मिलान प्रत्येक माह नीलामवाद पदाधिकारी के पंजियों के साथ करना सुनिश्चित कर सकता है ।**

4.2.13	**वाहन–मालिकों के पते में त्रुटियों के कारण राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना/हानि**
	केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वाहन मालिक के पता का साक्ष्य, वाहन के निबंधन के समय होना आवश्यक है और पता में बाद में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना निबंधन पदाधिकारी को 30 दिनों के भीतर दिया जाना है । **लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि विभाग ने वाहन मालिकों के पते का विवरण (डाटाबेस) को अद्यतन नहीं किया था । अतः जिला परिवहन पदाधिकारियों/नीलामवाद पदाधिकारियों द्वारा बकाये के भुगतान में चूक के मामले में कोई नोटिस जारी नहीं की जा सकी, जैसा कि नीचे उल्लेखित है।** **क. <u>छः जिला परिवहन कार्यालय यथा– बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, एवं गया</u>** एवं संबंधित नीलामवाद पदाधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 302 नीलामवाद मामलों में अन्तर्निहित 2.09 करोड़ रूपये के संबंध में माँग पदाधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों के सही पता नहीं दिये जाने के कारण नीलामवाद पदाधिकारियों द्वारा नोटिस तामील नहीं हो सका । **ख.** माँग पदाधिकारी एवं नीलामवाद पदाधिकारी, गया तथा पटना के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान देखा गया कि नीलामवाद पदाधिकारी ने 26.68 लाख रूपये से अन्तर्निहित 42 नीलामवाद मामलों को वाहन मालिकों के लापता हो जाने/ अन्य कारणों से खत्म कर दिया । नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा बार–बार स्मार–पत्र दिये जाने के बावजूद, माँग पदाधिकारियों ने चूककर्त्ताओं के संबंध में उन्हें सही सूचना नहीं दी, जिसके फलस्वरूप 26.68 लाख रूपये के राजस्व हानि हुई । **सरकार, पतों के उचित प्रलेखनों के साथ वाहनों का निबंधन करने तथा पतों का नियमित सत्यापन एवं अद्यतन किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त उपाय विहित कर सकती है ।**
4.2.14	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली**
	आंतरिक नियंत्रण का अभिप्राय सुव्यवस्थित, दक्ष एवं प्रभावी प्रचालनों का युक्तिसंगत आवश्वास प्रदान करना, अनियमितताओं के विरूद्ध संसाधनों का संरक्षण, कानूनों, विनियमों एवं प्रबंधन निर्देश का अनुपालन और विश्वसीनय आँकड़ों को विकसित एवं संधारित करना है । किसी विभाग के कुशल क्रिया–कलापों के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कम्प्यूटरीकृत परिवेश और मैनुअल, दोनों के लिए पहली आवश्यकता है । आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई।
4.2.14.1	**महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण**
	बिहार मोटर वाहन नियमावली के अनुसार बकायों के समयबद्ध वसूली पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को प्रपत्र 'एन' में माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी का संधारण तथा आवधिक अद्यतन (प्रत्येक वर्ष मार्च एवं अक्टूबर में) करना है । प्रत्येक कराधान पदाधिकारी राज्यों परिचालित प्रत्येक परिवहन वाहन के लिए प्रपत्र 'एम' में एक कराधान पंजी का भी संधारण करेंगे। प्रत्येक वाहन के लिए एक अलग पृष्ठ निर्धारित की जाएगी और कर के भुगतान, छूट/वापसी/कर का समायोजन, यदि कोई हो, से संबंधित प्रविष्टियाँ इस पंजी में करेंगे । पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक निबंधन प्राधिकारी को उनके द्वारा निबंधित मोटर वाहन के निबंधन अभिलेख का संधारण प्रपत्र–24 में मोटर वाहन की स्थायी पंजी में करना होगा ।

	<u>क. निबंधन पंजी</u>:– **<u>चार जिला परिवहन कार्यालयों यथा– भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया</u>** में देखा गया कि निबंधन पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था क्योंकि वाहन मालिकों और वाहनों का ब्योरा इसमें दर्ज नहीं किया गया था, यद्यपि राजय परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके सभी कॉलम पंक्तियों को निश्चित रूप से भरने का अनुदेश (मार्च 1991) दिया गया था ।
	<u>ख. कराधान पंजी</u>:– **चार जिला परिवहन कार्यालयों यथा– भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया** में कराधान पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था क्योंकि विभिन्न अवधियों हेतु करों का भुगतान छूट एवं वापसी को दर्ज नहीं किया गया था । **<u>ग. माँग, संग्रहण, एवं शेष–पंजी</u>:–** दस चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में से **नौ जिला परिवहन कार्यालयों यथा– बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया** में माँग, संग्रहण, एवं शेष–पंजी का संधारण नहीं किया गया था । जिला परिवहन कार्यालय भोजपुर में पंजी संधारित थी, परन्तु समय–समय पर अद्यतन नहीं किया गया था । **उपर्युक्त पंजियों में सुसंगत ब्योरों के अभाव में विभाग चूककर्त्ता वाहन मालिकों का पता लगाने और बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई करने में असहाय था ।**
4.2.14.2	**विभागीय मैनुअल का अभाव**
	विभाग के विभिन्न स्कंधों के उचित क्रिया–कलापों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मचारियों द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का विभागीय मैनुअल बनाया जाना आवश्यक है । हालाँकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग में ऐसा कोई मैनुअल नहीं था। विभाग में मैनुअल के अभाव में उच्च प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित नियंत्रण एवं इसके प्रभावोत्पादक प्रयास नहीं किए जा सके ।
4.2.14.3	**रिपोर्टिंग प्रणाली**

वाहनों के निबंधन, राजस्व का संग्रहण, नीलामवाद मामले इत्यादि जैसे रिपोर्ट/ रिटर्न, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त को भेजा जाना अपेक्षित है। संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में यद्यपि रिपोर्ट/रिटर्न प्राप्त किए जा रहे थे, परन्तु इन आँकड़ों का संकलन एवं जिला परिवहन कार्यालयों के साथ आवधिक अन्तराल पर सूचना का मिलान नहीं किया गया था । इसके फलस्वरूप निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई ।

क. वर्ष 2004-08 के दौरान वाहनों के निबंधन संबंधी राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दी गई विवरणियों के साथ **आठ जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, पटना एवं पूर्णिया** द्वारा दी गई विवरणियों की तिर्यक जाँच से पता चला कि राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा दी गई विवरणी में 60,214 वाहनों का निबंधन कम दर्शाया गया था ।

ख. पाँच वर्षों (2003-08) के दौरान राजस्व-लक्ष्य एवं उसके संग्रहण के आँकड़ों जैसा कि नमूना जाँचित **10 जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया** और राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा आँकड़े उपलब्ध कराये गये थे, में क्रमश: 343.81 करोड़ रूपये एवं 27.46 करोड़ रूपये की विसंगति थी ।

ग. पुन: यह देखा गया गया कि राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा लेखपरीक्षा को दिये गए राजस्व के प्रमाणित बकाये के आँकड़े भी **आठ जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया** द्वारा दिये गए आँकड़ों से भिन्न थे । इसमें 31 मार्च 2008 को 1,805 मामलों में अंतर्निहित 3.11 करोड़ रूपये की विसंगति थी।

ग. पुन: **जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर** में देखा गया कि वर्ष 2006-07 के दौरान पंज IX में दर्ज 41 मामलों में अंतर्निहित 1.23 करोड़ के विरूद्ध सिर्फ 12 नीलामवाद मामलों में अंतर्निहित 48,18 लाख रूपये ही वार्षिक विवरणी में दर्शाए गए थे । इसके परिणामस्वरूप 29 नीलामवाद मामलों में 74.36 लाख रूपये की राशि की विसंगति थी ।

उपर्युक्त विसंगतियाँ उच्च प्राधिकारियों के पास उपलब्ध विश्वसनीय आँकड़ों/ सूचनाओं को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण की कमी को भी संसूचित करता है।

विभाग सूचना प्रौद्योगिकी की सहायकता से आँकड़ों का आवधिक मिलान करने के लिए एक उपर्युक्त प्रक्रिया विहित कर सकती है।

4.2.14.4	**आंतरिक लेखापरीक्षा**
	आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रबंधन की 'आँख' एवं 'कान' की तरह कार्य करता है और प्रणाली के दक्षता एवं प्रभावकारिता का मूल्यांकन करता है । यह संगठन/ विभाग के क्रियाकलापों के दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित होने का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन भी करता है । वित्त विभाग का लेखापरीक्षा स्कंध, वित्त विभाग के मई 1960 के आदेशानुसार, परिवहन विभाग सहित राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है । हालाँकि, वर्ष 2003-08 के दौरान नमूना जाँचित कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा कभी नहीं करायी गयी थी । इससे यह संसूचित होता है कि विभाग के पास प्रणाली के त्रुटिपूर्ण कार्य-क्षेत्रों का पता लगाने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के अवसर प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था । **सरकार नियमित अंतराल पर विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा कराना सुनिश्चित कर सकती है ताकि अनियमिततओं/चूकों का समय पर पता लगाया जाए और उन्हें दूर किया जाए ।**
4.2.15	**ड्राईविंग लाइसेंस प्रदान करना**
	केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लाइसेंस देनेवाले प्राधिकारी, ड्राईविंग लाइसेंस उसी आवेदक को देंगे जो कम-से-कम 18 वर्ष का हो (पेशेवर ड्राईविंग लाइसेंस हेतु 20 वर्ष), जो सक्षमता जाँच में उत्तीर्ण हो गया हो और जिसके पास न्यूनतम तीस दिनों का लर्नर्स लाइसेंस हो । ड्राईविंग लाइसेंस 20 वर्षों तक अथवा आवेदक का उम्र 50 वर्ष, जो इसमें पहले हो, तक की अवधि के लिए वैध है और पेशेवर ड्राईविंग लाइसेंस तीन वर्षों के लिए वैध है । पुनः, किसी व्यक्ति को एक परिवहन वाहन चलाने का लर्नर्स लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम-से-कम एक वर्ष के लिए हल्का मोटर वाहन चलाने का ड्राईविंग लाईसेंस न हो । जनवरी 2001 में विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार समक्षमता जाँच में उत्तीर्ण होने के बाद तीन दिनों के भीतर ड्राईविंग लाईसेंस प्रदान करना है ।

4.2.15.1 अभिलेखों की संवीक्षा से अधिनियम/नियमों एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों के अनुपालन में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :-

क्रम	जिला परिवहन कार्यायों के नाम	सन्निहित ड्राईविंग लाईसेंस की सं0	अवधि	अभ्युक्ति
1	बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया	697	अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2007	जाँचे गए 1,035 मामलों में से 338 ड्राईविंग लाईसेंस तीन दिनों के भीतर जारी किए गए थे जबकि शेष 697 मामले (64.34 प्रतिशत) 326 दिनों तक के विलम्ब से जारी किए थे ।
2	बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया	63	फरवरी 2007 से मार्च 2008	पेशेवर ड्राईविंग लाईसेंस उन व्यक्तियों को प्रदान किए गए जो 20 वर्ष की उम्र से कम थे।
3	बेगूसराय,एवं पूर्णिया	60	नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2007	ड्राईविंग लाईसेंस 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिये गए।
4	बेगूसराय,	27	नवम्बर 2007	ड्राईविंग लाईसेंस उन व्यक्तियों को समक्षमता जाँच में उत्तीर्ण होने से पहले दिये गए ।
5	बेगूसराय,	29	नवम्बर 2007	ड्राईविंग लाईसेंस उन व्यक्तियों को दिये गए जो सक्षमता जाँच में उत्तीर्ण नहीं थे ।
6	मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया	13	नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2007	आवेदकों को लर्नर्स लाईसेंस देने के बाद 30 दिनों की न्यूनतम निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पहले सक्षमता जाँच में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी ।

4.2.15.2 **व्यावसायिक ड्राईविंग लाइसेंस अनियमित रूप से देने के कारण राजस्व की हानि**

<u>छः जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया</u> में यह देखा गया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों ने 2003-08 के दौरान 35,946 व्यावसायिक ड्राईविंग लाइसेंस उन आवेदकों को दिया था जिनके पास हल्का मोटर वाहनों को चलाने का लाइसेंस नहीं था । अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त 75.49 लाख रूपये के राजस्व की हानि भी हुई।

विहित प्रक्रिया का पालन किए बगैर तथा अयोग्य व्यक्तियों को ड्राईविंग लाइसेंस दिया जाना, लोगों के जान-माल की क्षति के जोखिम से भरा था ।

सरकार, ड्राईविंग लाइसेंस के निर्गमन हेतु प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक पालन किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, उचित कदम उठा सकती है।

4.2.16 **अनापत्ति/योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बगैर नये निबंधन संख्या का आवंटन**

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों (जुलाई 1991 एवं सितम्बर 1996) के अंतर्गत जब किसी दूसरे राज्य का मोटर वाहन इस राजय में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखे जाने का इरादा हो, तो वाहन मालिक को पूर्व के निबंधन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ नए निबंधन संख्या के आवंटन हेतु आवेदन देना होगा । जिला परिवहन पदाधिकारी जाँच करने और मोटर वाहन के पंजी में ब्योरे, अर्थात् पूर्व के निबंधन

	प्राधिकारी का नाम, वाहन जाँचकर्त्ता का नाम और पदनाम दर्ज करने के बाद नया निबंधन संख्या आवंटित कर, वाहन मालिक को निबंधन प्रमाण-पत्र वापस कर देंगे । **<u>दो जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय एवं शेखपुरा</u>** के 'ऐट प्रजेण्ट' रजिस्टर (वर्तमान पता पंजी) एवं तत्संबंधी निबंधन पंजियों के साथ अन्य सुसंगत अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि दूसरे राज्यों के 105 वाहनों का वर्तमान पता दर्ज किया गया था और नया निबंधन संख्या बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सत्यापन और पूर्व के निबंधन प्राधिकारियों के नाम का उल्लेख किए बगैर ही आवंटित किए गए थे । नया निबंधन संख्या आवंटित करते समय मोटर वाहन निरीक्षक/ जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वाहनों का निरीक्षण तथा वर्तमान पता पंजी या निबंधन पंजी में इंजन/चेसिस के निशान को साटा जाना, जैसे आवश्यक सत्यापन नहीं किया गया था । उपर्युक्त बातों की अनदेखी करने से चोरी के वाहनों को नया निबंधन संख्या आवंटित हो सकता था क्योंकि निबंधन प्रमाण-पत्र, आवंटन के एक सप्ताह के अंदर बदल दिये गए थे ।
4.2.17	**निजी वाहनों के निबंधन का नवीकरण**
	केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिवहन वाहनों के अलावे वाहनों के लिए निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र, इसके निर्गमन की तिथि से 15 वर्षो की अवधि के लिए वैध होगा और इसका नवीकरण अगले पाँच वर्षो के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर किया जाएगा । यदि वाहन मालिक निबंधन प्रमाण-पत्र की अवधि की समाप्ति तक इसके नवीकरण हेतु आवेदन देने में विफल रहते हैं, तब उपरोक्त अधिनियम की धारा-192 के तहत न्यूनतम 2,000 रूपये जुर्माना आरोप्य है । राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार ने पुनः कहा (जून 1991) कि ऐसे वाहनों का निबंधन समय पर हो जाना चाहिए । **19 जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, पटना एवं पूर्णिया (समीक्षा), अररिया, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी एवं वैशाली (अनुपलान लेखापरीक्षा)** में परिवहन वाहनों के अलावे 1,601 वाहनों का निबंधन प्रमाण-पत्र, जो जनवरी 2006 एवं मार्च 2008 के बीच कालातीत हो गए थे, 15 वर्षो की अवधि की समाप्ति के बाद भी नवीकृत नहीं किए गए थे । अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ज्ञात होता कि इन वाहनों का स्थानांतरण दूसरे क्षेत्रों/राज्यों में हो चुका है । निबंधन पंजी की समीक्षा नहीं किए जाने के कारण, जैसा कि ऊपर इंगित किया है, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी निबंधन के समापन की तिथि का पता नहीं लगा सके और साथ-साथ इन वाहनों के निबंधन को नवीकृत कराने की कोई कार्रवाई, राज्य परिवहन आयुक्त के जून 1991 के कार्यपालक अनुदेश के बावजूद भी नहीं कर सके । इसके परिणामस्वरूप 32.02 लाख रूपये के अर्थदण्ड सहित 35.57 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।
4.2.18	**अभ्यर्पण में अंतर्ग्रस्त वाहनों पर कर**
	बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के तहत जब कोई मोटर वाहन मालिक, एक माह से अधिक तथा एक में अधिकतम छः माह की अवधि के लिए अपने वाहन का उपयोग नहीं करने का इरादा रखता हो, तब उसे वाहन का उपयोग नहीं किए जाने वाली अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर के भुगतान करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते की छूट का दावा प्रलेखों का अभ्यर्पण कर दये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो । उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि हो, के लिए वाहन मालिक को समय-समय पर संबंधित करारोपण

पदाधिकारी के समक्ष वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा । करारोपण पदाधिकारी को ऐसे मामलों मे महीने में कम-से-कम एक बार वाहर के पार्किंग-स्थल का औचक भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण ज्ञापन को दर्ज करना है । यदि वचन-पत्र में उल्लेखित अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि वाहन का उपयोग किया गया है अथवा वाहन को वचन-पत्र में उल्लेखित स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है, तो ऐसा वाहन इस अधिनियम के उद्देश्य से, उक्त सम्पूर्ण अवधि में बिना कर भुगतान किए, उपयोग में लाया गया माना जाएगा । तदनुसार ऐसे मामलों में अर्थदण्ड सहित कर आरोपित करना है ।

10 जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया (समीक्षा), मोतिहारी, समस्तीपुर एवं सीवान (अनुपालन लेखापरीक्षा) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अक्टूबर 2002 एवं अक्टूबर, 2007 के बीच अभ्यर्पित 106 वाहनों को 17 एवं 60 महीनों तक के लिए आरंभिक अभ्यर्पण/अवधि-विस्तार अनियमित रूप से किया गया था । इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 2.53 करोड़ रूपये के कर का आरोपण नहीं हुआ, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है ।

(लाख रूपये में)

क्रम	जिला परिवहन कार्यालयों के नाम	वाहनो की संख्या	कर गणना की अवधि	अनियमितताएँ	कर-प्रमाद
1.	मुजफ्फरपुर	30	01 जुलाई 2003 से 30 जून 2008	स्मार-पत्र के बावजूद मामलें के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अभ्यर्पण पंजी के अनुसार ये वाहन अबतक अभ्यर्पण में थे । पुन: 30 वाहनों में से 29 मामले में अद्यतन कर के भुगतान के बगैर अनियमित रूप से अभ्यर्पण स्वीकार किया गया था ।	136.77
2.	आठ जि0 परि0 कार्या0 यथा-भागलपुर, दरभंगा, गया मुजफ्फरपुर एवं पटना (समीक्षा), मोतिहारी, समस्तीपुर एवं वैशाली (अनुपालन लेखापरीक्षा)	52	01 अप्रैल 2003 से 30 जून 2008	बिना नए वचन-पत्र प्राप्त किए प्रारंभिक अभ्यर्पण अवधि के समापन के बाद अभ्यर्पण अवधि का विस्तार 17 से 60 महीनों के बीच किया गया था ।	49.52
3.	चार जि0 परि0 कार्या0 यथा- गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णियाँ	14	-तथैव-	अद्यतन कर की वूसली किये बगैर आरंभिक अभ्यर्पण स्वीकार किये गये थे । बिना नये वचन-पत्र प्राप्त किये अभ्यर्पण अवधि का विस्तार भी 24 से 60 महीने के बीच किया गया था ।	48.83
4.	बेगूसराय एवं पटना	7	01 फरवरी एवं 2005 से 30 जून 2008	फरवरी एवं अक्टूबर, 2006 के बीच इन वाहनों का अभ्यर्पण अस्वीकृत/रद्द किये गये थे, परन्तु करारोपण एवं संग्रहण नहीं किया गया था ।	11.68
5.	मुजफ्फरपुर एवं पटना	3	01 जुलाई 2003 से 30 जून 2008	बिना निबंधन प्रमाण-पत्र के आरंभिक अभ्यर्पण को अनियमित रूप से स्वीकार किया गया था। पुन: बिना नये बचन पत्र प्राप्त किये प्रारंभिक अभ्यर्पण अवधि के समापन के बाद अभ्यर्पण अवधि का विस्तार 17 से 60 महीनों के बीच किया गया था ।	6.49
योग	106				253.29

4.2.19	**बसों से कर की कम वसूली**
	समय-समय पर यथा संशोधित बिहार मोटर वाहन कराधन अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान वार्षिक, तिमाही या मासिक अवधि के लिए वर्ष, तिमाही अथवा माह, जैसी भी स्थिति हो, के आरंभ होने के 15 दिनों के अंदर देय है । पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार '205 इंच व्हील आधार बस' का कर, इस अधिनियम के अंतर्गत देय सभी प्रकार के छूट देने के पश्चात, तीन माह में तय की गई दूरी के आधार पर देय है । समय पर कर का भुगतान नहीं करने पर अर्थदण्ड देना होगा । **<u>पाँच जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं पटना</u>** में '205 ईंच व्हील आधार बस' के मालिकों से वसूले गए करों और राज्य परिवहन प्राधिकार, पटना एवं अन्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा जारी परमिटों के साथ तिर्यक जाँच से पता चला कि 19 बसों को जिला परिवहन पदाधिकारियों ने राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा जारी परमिट में प्राधिकृत तय की गई दूरी का ब्योरा प्राप्त किए बगैर टैक्स-टोकन जारी कर दिया था जिसके फलस्वरूप 47.89 लाख रूपये के कर की कम वसूली हुई ।
4.2.20	**स्वामित्व का हस्तांतरण/द्वितीयक निबंधन प्रमाण-पत्र का निर्गमन**
	केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक अनुदेशों, अद्यतन सितम्बर 1996 में निर्गत अनुदेश, के अनुसार विभागीय प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि वाहन मालिक ने स्वामित्व के हस्तांतरण/द्वितीयक निबंधन प्रमाण-पत्र के निर्गमन अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि के लिए निर्धारित शुल्क एवं अन्य प्रलेखों के साथ-साथ चालू टैक्स-टोकन अथवा एक मुश्त टैक्स-टोकन को अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया है । **<u>जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर एवं पटना</u>** के निबंधन पंजियों के साथ अन्य संबंधित अभिलेखों की तिर्यक जाँच में पाया गया कि 30 वाहनों को स्वामित्व के हस्तांतरण/द्वितीयक निबंधन प्रमाण-पत्र के निर्गमन आदि की अनुमति, अद्यतन कर के भुगतान को सुनिश्चित किए बगैर दी गई थी । इस चूक से न केवल अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश का उल्लंघन हुआ बल्कि अप्रैल 2003 एवं मार्च 2008 के बीच की अवधि के लिए अर्थदण्ड सहित 1.31 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली भी नहीं हुई ।

4.2.21	**एक-मुश्त कर की वसूली**
	<u>4.2.21.1 निजी वाहनों से कम की कम वसूली</u> राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा जून 2007 में निर्गत कार्यपालक अनुदेश के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, जैसा कि बिहार वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अनुसार ओमनी बस श्रेणी के वाहन (6 से 12 बैठने की क्षमता वाले), जिनका निबंधन वैयक्तिक वाहन के रूप में किया गया था, के मूल्य का तीन प्रतिशत (वैट छोड़कर) की दर से एक-मुश्त कर, वाहन के निबंधन के समय देय होगा । **<u>जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ</u>** में निबंधन पंजी से यह देखा गया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों ने ओमनी बस श्रेणी के 199 वाहनों को निजी वाहन के रूप में निबंधित किया और उपर्युक्त अधिनियम एवं कार्यपालक आदेश का उल्लंघन कर वाहन के मूल्य के तीन प्रतिशत की दर से एक-मुश्त कर के बदले वार्षिक कर की वसूली की । इसके परिणामस्वरूप 28.18 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई । **<u>4.2.21.2 कृषि संबंधी ट्रैक्टी/ट्रेलर मालिकों से कम की कम वसूली</u>** बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषि कार्य में व्यवहृत ट्रैक्टर और ट्रेलर को एक साथ जोड़कर 25 अश्व-शक्ति क्षमता के ट्रैक्टर एवं अधिकतम तीन टन तक की क्षमता वाले ट्रलर के लिए प्रत्येक ट्रैक्टर-ट्रेलर 3,000 रूपये की दर से एक मुश्त कर लिया जाएगा । 25 अश्व-शक्ति से अधिक क्षमता के ट्रैक्टर एवं पाँच टन तक अधिकतम क्षमता के ट्रेलर के लिए 5,000 रूपया प्रति ट्रैक्टर-ट्रेलर होगा । **<u>जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ</u>** के निबंधन पंजी की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 25 अश्व-शक्ति से अधिक क्षमता वाले 42 ट्रेलर का निबंधन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ट्रैक्टर के साथ जोड़े बगैर किया गया था । इन मामलों में उन्हें कृषि प्रयोजन हेतु मानकर प्रति ट्रेलर 2,500 रूपये का एक-मुश्त कर लिया गया था । चूँकि ट्रेलर को ट्रैक्टर अथवा किसी अन्य वाहन के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अत: यह स्पष्ट है कि ट्रेलर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए हुआ । इस प्रकार, ट्रेलर का वाणिज्यिक प्रयोजन, जिसके लिए उच्च कर दर लागू है, के बदले में कृषि कार्य हेतु निबंधन अनियमित था, जिसके फलस्वरूप 14.06 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

4.2.22	**परमिट का निर्गमन**
	बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकार उन वाहनों के परमिट के आवेदनों को अस्वीकृत कर सकता है जिनका कर बकाया है ।पुनः निर्धारित अवधि की समापन की तिथि से कर भुगतान की वास्तविक तिथि तक परमिट रद्द माना जाएगा । परमिट के निर्गमन/नवीकरण के पूर्व कर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने भी सितम्बर 1991 में अनुदेश निर्गत किया था । राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के अस्थायी एवं स्थायी परमिट पंजियों की नमूना जाँच के क्रम में यह देखा गया कि 14 अस्थायी/स्थायी परमिट नौ वाहन मालिकों को निर्गत किए गए थे, जिन्होंने अपने वाहनों पर बकाये कर का भुगतान नहीं किया था । इस चूक के फलस्वरूप जुलाई 2003 से जून 2008 की अवधि के लिए संगणित अर्थदण्ड सहित 43.36 लाख रूपये के कर की वसूली नहीं हुई, इसके अलावे अवैध परमिट पर वाहनों को चलाए जाने की अनुमति दी गई । यह संसूचित करता है कि राजय परिवहन प्राधिकार कार्यालय ने वाहन मालिकों द्वारा कर का भुगतान किया जाना सुनिश्चित नहीं किया । इसे इंगित किए जाने के बाद संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, पटना ने बताया कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से कर भुगतान की स्थिति का पता लगाया जा रहा था । उत्तर, अद्यतन कर भुगतान अभिनिश्चित किए बिना परमिट निर्गत किए जाने की पुष्टि करता है । आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2010)।
4.2.23	**सवारी वाहनों को माल वाहक वाहनों में परिवर्तित किया जाना**
	मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोई मोटर वाहन मालिक राज्य सरकार के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किए बगैर निबंधन प्रमाण-पत्र में अंकित वाहन के उपयोग को परिवर्तित नहीं करेंगे । **<u>जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर, पटना एवं सिवान</u>** के निबंधन पंजी एवं अन्य संबंधित अभिलेखों से यह पाया गया कि अप्रैल 2003 से अक्टूबर 2007 की अवधि के दौरान अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर मोटर वाहन निरीक्षक की अनुशंसा पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा 18 सवारी वाहनों को माल वाहक वाहनों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी । इस चूक के फलस्वरूप न केवल अधिनियम और नियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ । बल्कि कर के रूप में 9.25 लाख रूपये के राजस्व की हानि भी हुई ।

4.2.24	**व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नहीं/ कम किया जाना**
	बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के विनिर्माता अथवा व्यवसायी को उसके व्यवसाय के क्रम में उसके अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर, एक वयवसायी अथवा विनिर्माता के रूप में, विहित वार्षिक दर पर कर का भुगतान करना होगा । देय-तिथि के अन्दर कर का भुगतान नहीं करने पर देय कर का 25 एवं 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड देय है ।**11 जिला परिवहन कार्यालयों यथा- बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया (समीक्षा), गोपालगंज,एवं वैशाली (अनुपलान लेखापरीक्षा)** में यह पाया गया कि 41 मोटर वाहन व्यवसायियों ने 2003-08 के बीच की अवधि के दौरान अपने अधिकार में रखे गए 1,17,557 वाहनों (59,270 दोपहिया एवं 58,287 तीन/चार पहियों वाले) का वयापार कर या तो निर्धारित दर जमा नहीं किया था या कम जमा किया था । जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दोषी व्यवसायियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित 1.19 करोड़ रूपये के व्यापार कर की वसूली नहीं/ कम हुई ।
4.2.25	**रोकड़ प्रबंधन**
	बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1 के साथ पठित बिहार कोषागार संहित भाग-1 के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवकों द्वारा प्राप्त अथवा उनको भुगतान किए गए सभी धन (जुर्माना सहित) सरकारी खाते में अविलम्ब भुगतान किए जाएगें । पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों, अद्यतन जनवरी एवं मार्च 2002 में, के अनुसार पूर्व में निर्गत मनी रसीदों की अधकट्टी (काउंटर फायल) को, नए सादे मनी रसीद पुस्त को निर्गत होने से पहले राज्य परिवहन आयुकत कार्यालय में लौटाना है । इसके अतिरिक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मनी रसीद के उपयोग एवं संग्रहित राशि के जमा किए जाने को भी राजस्व संग्रहण पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करना था तथा राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रतिवेदन करना था ।
4.2.25.1	बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों एवं राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दिसम्बर 2001, सितम्बर 2002 एवं अप्रैल 2006 में निर्गत अनुदेशों के अनुसार विभागीय प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि संग्रहित शुल्क एवं कर को अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कोषागार में जमा कर दिया गया है और मार्च महीने में संग्रहित राशि को 31 मार्च तक निश्चित रूप से हस्तांतरित कर दिया गया है। **पाँच जिला परिवहन कार्यालयों यथा- छपरा एवं पूर्णियाँ (समीक्षा) किशनगंज, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी (अनुपालन लेखापरीक्षा)**

	एवं **क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना** के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अगस्त 2005 एवं मार्च 2008 के बीच की अवधि में प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से शुल्क एवं कर के रूप में संग्रहित 24.88 करोड़ रूपये को विभागीय प्राधिकारियों द्वारा 1 से 25 महीनों के विलम्ब के बाद सरकारी खाते में हस्तांतरित किया गया था ।
4.2.25.2	मनी रसीद, विभिन्न लेन-देनों के लिए सरकारी राजस्व की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि मनी रसीदों के पुस्तों के निर्गमन एवं वापसी की प्राप्ति का उचित लेखा-जोखा नहीं था जिसकी चर्चा नीचे की गई है । **क.** राज्य परिवहन आयुक्त, कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मनी रसीदों के 286 पुस्तों (कार्बन प्रति के साथ प्रत्येक 100 रसीद वाले) को अक्टूबर 2004 और नवम्बर 2008 के बीच आठ कर्मचारियों को निर्गत किया गया था । इसमें से अक्टूबर 2009 तक 147 मनी रसीद के पुस्तों को शेष रखते हुये सिर्फ 139 पुस्तों को लौटाया गया था । **ख. <u>जिला परिवहन कार्यालय, गया</u>** के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अक्टूबर 2004 एवं सितम्बर 2007 के बीच मनी रसीदों के 97 पुस्त प्राप्त किए गए थे, परन्तु 28 पुस्तों को शेष रखकर सिर्फ 69 पुस्तों को जुलाई 2006 एवं सितम्बर 2009 के बीच राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय को लौटाया गया था। इसमें से सिर्फ 11 पुस्तों को लेखापरीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया जबकि विशेष आग्रहों के बावजूद शेष को प्रस्तुत नहीं किया गया । आवश्यकता से अधिक मनी-रसीद के पुस्तों को जारी किया जाना, उनके दुरूपयोग होने के साथ-साथ सरकारी राजस्व के दुर्विनियोजन की संभवना के जोखिम से भरा था ।
4.2.25.3	**जिला परिवहन कार्यालया, गया** के रोकड़-प्रबंधन से जुर्माना की राशि का नही/ विलम्ब से जमा किया जाना संसूचित होता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है । **क. <u>जिला परिवहन कार्यालय, गया</u>** के कम्प्यूटर कोषांग के दैनिक संग्रहण पंजी के साथ कम्पाउन्डिंग फीस के एक मनी रसीद पुस्त की कार्यालय प्रति की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मई से सितम्बर, 2007 की अवधि के दौरान 27 वाहन मालिकों से प्राप्त 1.91 लाख रूपये के कम्पाउन्डिंग फीस को 4 से 27 दिनों के विलंब से जमा किया गया था, जबकि इस राशि को तीन दिनों के अंदर अथवा अगले कार्य दिवस पर जमा कर देना चाहिए था । **ख. <u>जिला परिवहन कार्यालय, गया</u>** के मनी-रसीद के एक पुस्त की कार्यालय प्रति जिसका क्रमांक 284201सी. से 284300सी. था, के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि जुलाई से सितम्बर, 2007 की अवधि में 11 वाहन मालिकों से मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए संग्रहित कम्पाउन्डिंग फीस का 68,800 रूपया वर्ष 2007-08 में कम्प्यूटर कोषांग के दैनिक संग्रहण पंजी में दर्ज

	नहीं पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 68,800 रूपये के सरकारी राजस्व की हानि हुई ।
4.2.26	**निष्कर्ष**
	मोटर वाहनों के करारोपण एवं संग्रहण पर की गई समीक्षा से अनेक प्रणालीय एवं अनुपालन त्रुटियों का पता चला । करारोपण पंजियों की समीक्षा की प्रणाली के अभाव में जिला परिवहन पदाधिकारी, करों के भुगतान नहीं किए जाने के मामलों का पता नहीं लगा सके । राष्ट्रीय परमिट निर्गमन पंजियों की आवधिक समीक्षा की प्रणाली के अभाव में तथा साथ हीं साथ बैंक-ड्राफ्ट पंजी को अद्यतन नहीं किए जाने के कारण संग्रहित राजस्व का विलम्ब से प्रेषण और राजस्व की वसूली नहीं हुई । बकाये राजस्व के मामलों को नीलामवाद पदाधिकारियों के पास भेजने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं किए जाने के कारण असंग्रहित राजस्व का जमाव हुआ । अनियमित ड्राईविंग लाइसेंस प्रदान किए जाने एवं योग्यता प्रमाण/पत्रों के निर्गमन को रोकने के सुरक्षात्मक उपाय पर्याप्त नहीं थे, जिसके कारण लोगों के जान-माल की क्षति होने का जोखिम था । मैनुअल के अभाव में विभाग के विभिन्न स्कंधों के पास प्रभावशाली कार्य-प्रणाली हेतु संदर्भ-बिंदु नहीं था । वाहनों पर करों के भुगतान से छूट की स्वीकृति के प्रस्तावों का समय पर कार्यान्वयन नहीं किया जाता था । विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी, जो घटिया रोकड़ प्रबंधन और पंजियों को अनुचित संधारण से साबित होता है । आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा निरीक्षण नहीं किए जाने के कारण विभाग अपने कार्यों में कमियों एवं त्रुटियों का पता नहीं लगा पाया, जिसमें से कुछ इस समीक्षा में इंगित किए गए है ।
4.2.27	**अनुशंसाओं का सार**
	प्रणालीय एवं अनुपालन त्रुटियों को सुधारने हेतु सरकार, संबंधित कंडिकाओं के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं को विशेष ध्यान देकर लागू करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर, विचार कर सकती है । **क.** जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आवधिक अंतराल पर करारोपण पंजियों की समीक्षा करने की एक प्रणाली के साथ-साथ माँग पत्र निर्गत करने हेतु समय-सीमा विहित करे; **ख.** उच्च प्राधिकारियों द्वारा मोटर वाहन निरीक्षकों की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण हेतु एक प्रणाली स्थापित करें; **ग.** सक्षम प्राधिकारियों द्वारा करों में छूट की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा विहित करे; **घ.** चूककर्त्ताओं का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय परमिट पंजी की आवधिक समीक्षा करने एवं बकायों की शीघ्र वसूली हेतु नोटिस जारी करने की एक प्रणाली विहित करे;

	ड. बैंक-ड्राफ्ट के लेखांकन एवं इसके निष्पादन की अनुश्रवण हेतु एक प्रणाली विहित करे; **च.** सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से आँकड़ों की आवधिक मिलान हेतु एक प्रणाली विहित करे; तथा **छ.** विभागीय मैनुअल तैयार करने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा आवधिक निरीक्षण करना सुनश्चित करें ।

वर्ष 2009–2010 के लोक लेखा समिति के अनुपालन की स्थिति

कंडिका	आपत्ति विवरण
4.8	**मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना**
	बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा- 5 एवं 9 के अंतर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उस कर अधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन नियम तिथि को निबंधित हुआ है । आवास/व्यवसाय में परिवर्तन होने के मामले में वाहन मालिक पूर्व के कर अधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के साथ नये कर अधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है । पुनः कर अधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छुट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति कर दी गई है । जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है और माँग पत्र का जवाब नहीं मिलने की स्थिति में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद कार्यवाही शुरू की जानी है । पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के नियम 4(1) के अन्तर्गत कर के भुगतान हेतु नियत तिथि, उस अवधि की समाप्ति की तिथि होगी जिके लिए व्यक्तिगत वाहनों को छोड़कर, वाहन-कर का अंतिम भुगतान कर दिया गया था । 90 दिनों से अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं किये जाने पर नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित धारा-23, जैसा कि विहित है, के अंतर्गत दिये गये प्रावधान के अनुसार, बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड लगाया जाना है ।

कंडिका	आपत्ति विवरण
4.8	**<u>मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना</u>:-** **26 जिला परिवहन कार्यालय, यथा- 1. अररिया, 2. औरंगाबाद, 3.बेगूसराय, 4. बेतिया, 5. भभुआ, 6. बक्सर, 7. दरभंगा, 7.गया, 8. गोपालगंज, 9. जहानाबाद, 10. कटिहार, 11. खगड़िया, 12. किशनगंज, 13. लखीसराय, 14. मधेपुरा, 15.मधुबनी, 16. मोतिहारी, 17. मुजफ्फरपुर, 18. नालंदा, 19. पटना, 20. पूर्णिया, 21. सहरसा, 22. समस्तीपुर, 23. सीतामढ़ी, 24. सिवान तथा 25. वैशाली ।** जून 2009 और मार्च 2010 की अवधि के बीच कराधान पंजियों की जाँच से हमने प्या कि यद्यपि 751 परिवहन मालिकों ने जुलाई 2002 एवं जून 2009 के बीच की अवधि से संबंधित रू0 6.51 करोड़ के करों का भुगतान नियत तिथि के भीतर नहीं किया था फिर भी जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दोषी परिवहन मालिकों से करों के बकाये की वसूली की दिशा में किसी कार्रवाई की पहल नहीं की थी । इनमें से किसी भी मामले में वाहन मालिकों के पता में परिवर्तन या करों के भुगतान से छूट प्राप्ति हेतु दस्तावेजों का समर्पण अभिलेखों में नहीं पाया गया । इसके फलस्वरूप रू0 13.01 करोड़ के अर्थदण्ड सहित रू0 19.52 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई । हमलोगों के इंगित किये जाने के पश्चात् **23 जिला परिवहन कार्यालयों, यथा- 1. अररिया, 2. औरंगाबाद, 3. बेतिया, 4. भभुआ, 5. बक्सर, 6. दरभंगा, 7.गया, 8. गोपालगंज, 9. जहानाबाद, 10. कटिहार, 11. खगड़िया, 12. किशनगंज, 13. लखीसराय, 14. मधेपुरा, 15. मधुबनी, 16. मोतिहारी, 17. मुजफ्फरपुर, 18. नालंदा, 19. पटना, 20. पूर्णिया, 21. समस्तीपुर, 22. सीतामढ़ी, तथा 23. सिवान** के जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जून 2009 और मार्च 2010 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत की जायेगी, जबकि **तीन जिला परिवहन पदाधिकारियों यथा- बेगुसराय, सहरसा और वैशाली** ने कहा कि बकाये की वसूली के लिए कार्रवाई की जायेगी । मामले सरकार को नवम्बर 2009 और अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010) ।

कंडिका	आपत्ति विवरण
4.9	बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा-6 तथा उनके तहत् बने नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के निर्माता या व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिए एक व्यवसायी/निर्माता के रूप में, करों का निर्धारित वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा । नियम तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम (4)2 के साथ पठित धारा- 23, जैसाकि विहित है, के तहत् वर्णित प्रावधान के अनुसार बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है । पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को करों की वसूली और व्यापार प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया ।
4.9	**<u>मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/ कम वसूली</u>:- चार जिला परिवहन कार्यालयों, यथा- 1. बेगूसराय, 2. मुजफ्फरपुर, 3. पटना, 4. पूर्णिया,** हमने जनवरी और मार्च 2010 के बीच पाया कि मोटर वाहनों के दस व्यवसायियों ने वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 34,413 वाहनों (8,320 दो पहिया और 26,093 तीन/चार पहियों वाली) से संबंधित व्यापार कर या तो निर्धारित दर पर जमा नहीं किया अथवा कम किया । जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी दोषी व्यवसायियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही की । इसके फलस्वरूप रू0 49.11 लाख के अर्थदण्ड सहित रू0 73.66 लाख के व्यापार कर की वसूली नहीं/ कम हुई । हमलोगों के इंगित किये जाने के पश्चात् **तीन जिला परिवहन कार्यालयों, यथा- 1. मुजफ्फरपुर, 2. पटना, और 3. पूर्णिया** के जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी और मार्च 2010 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत की जायेगी, जबकि **बेगुसराय के जिला परिवहन पदाधिकारी** ने कहा कि नियमों के अनुसार वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी । मामले सरकार को मार्च एवं अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010) ।
कंडिका 4.10	केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम -73 के अंतर्गत किसी परिवहन वाहन के लिए योग्यता प्रमाणपत्र तब तक नही दिया जा सकता है, जब तक वाहन मालिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कर भुगतान का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेता है । माननीय पटना उच्च न्यायालय (पटना जिला ट्रक संघ बनाम बिहार सरकार 1993 (1) पी.एल.जे.आर 211) के न्याय के अनुसार टैक्स टोकन, जो कर के भुगतान का साक्ष्य है, योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है । पुनः राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 1994 को निर्गत निदेश के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को ऐसे परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाणपत्र देने/नवीनीकरण हेतु प्रतिबंधित किया गया है, जिसका कर भुगतान नहीं किया गया है तथा प्रवर्तन स्कंध द्वारा ऐसे योग्यता प्रमाणपत्र को जब्त करने के अलावे भूल करने वाले मोटर वाहन निरीक्षकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

4.10	**<u>योग्यता प्रमाणपत्र का अनियमित निर्गमन</u>:- तीन जिला परिवहन कार्यालयों, यथा- 1. मोतिहारी, 2. मुजफ्फरपुर, 3. पूर्णिया,** हमने अक्टूबर और मार्च 2010 के बीच जिला परिवहन कार्यालयों के योग्यता प्रमाणपत्रा पंजियों में प्रतिष्टियों का, कराधान पंजियों की प्रविष्टियों के साथ तिर्यक जाँच के दौरान पाया कि रों का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर 14 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया गया था । पुनः, हमने पाया कि प्रवर्त्तन स्कंध ने विभाग को इन मामलों के संबंध में कभी इंगित नहीं किया । यह अत्यंत अनियमित था, क्योंकि इन वाहनों को बिना समुचित निरीक्षण के चलाना जन-जीवन और संपत्ति की क्षति से समझौता करना था । यह भूल न केवल नियमों और राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश का उल्लघंन था, बल्कि इसके फलस्वरूप अप्रैल 2004 और जून 2009 की अवधि में रू0 36.51 लाख के अर्थदण्ड सहित रू0 54.76 लाख के कर की वसूली नहीं हुई । हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अक्टूबर 2009 और मार्च 2010 के बीच कहा कि इसके अनुपालन हेतु संबंधित मोटर वाहन निरीक्षकों को मामले संदर्भित किये जायेगें । मामले सरकार को मार्च एवं अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2010) ।

कंडिका	आपत्ति विवरण
4.11	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-9 के तहत् लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी मोटर चलाने का लाइसेंस वैसे आवेदक को प्रदान करेगें, जिसके पास ऐसी श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए उस श्रेणी का लर्नर्स लाइसेंस हो और उसने वाहन को चलाने के लिए दक्षता जाँच उर्त्तीण की हो । पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम-10 के साथ पठित धारा- 7 (1) जैसाकि विहित है, के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर्स लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जायेगा । जबतक कि उसके पास न्यूनतम एक वर्ष के लिए हल्के मोटर वाहन को चलाने का लाइसेंस ना हो ।
4.11	**<u>परिवहन वाहन चलाने के लाइसेंस का अनियमित निर्गमन</u>:- चार जिला परिवहन कार्यालयों, यथा- 1. गया, 2. मुजफ्फरपुर, 3. पटना, और 4. पूर्णिया,** हमने नवम्बर 2009 और मार्च 2010 के बीच व्यवसायिक मोटर चलाने के लाइसेंस पंजियों से देखा कि वर्ष 2008-09 के दौरान 7,498 व्यवसायिक वाहन लाइसेंस वैसे आवेदकों को स्वीकृत किये गये थे, जिनके पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था । इस भूल से न केवल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन के फलस्वरूप ड्राईविंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु वसूलनीय फीस के रूप में 15.75 लाख के सरकारी राजस्व की हानि हुई, बल्कि इसमें सड़क सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल थे । हमलोगों के इंगित किये जाने के पश्चात जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने कहा कि इस राशि की वसूली लाइसेंस के नवीनीकरण के समय कर ली जायेगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया ने कहा कि सूचना निर्गत की जायेगी । जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, गया और मुजफ्फरपुर ने कहा कि निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जायेगी । मामले सरकार को मार्च एवं अप्रैल 2010 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010) ।